2023 का विधेयक संख्यांक ४३

राष्ट्रीय परिचर्या और प्रसूति विद्या आयोग विधेयक, 2023

खंडों का क्रम

खंड

अध्याय 1

प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ ।
2. परिभाषाएं ।

अध्याय 2

परिचर्या और प्रसूति विद्या आयोग

3. राष्ट्रीय परिचर्या और प्रसूति विद्या आयोग ।
4. आयोग की संरचना ।
5. राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए खोजबीन-सह-चयन समिति ।
6. राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की पदावधि और सेवा की शर्तें ।
7. राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष या सदस्यों का हटाया जाना ।
8. राष्ट्रीय आयोग के सचिव और अन्य कर्मचारी ।
9. राष्ट्रीय आयोग की बैठकें, प्रशासन, आदि ।
10. राष्ट्रीय आयोग की शक्तियां और कृत्य ।

अध्याय 3

स्वायत्त बोर्ड

11. स्वायत्त बोर्ड ।
12. स्वायत्त बोर्डों की सरंचना ।
13. अध्यक्ष और सदस्यों की पदावधि और सेवा की शर्तें ।
14. विशेषज्ञों की सलाहकार समिति ।
15. स्वायत्त बोर्डों के कर्मचारिवृन्द ।
16. स्वायत्त बोर्डों की बैठकें, आदि ।
17. स्वायत्त बोर्डों की शक्तियां और शक्तियों का प्रत्यायोजन ।
18. परिचर्या और प्रसूति विद्या स्नातकपूर्व और स्नातकोत्तर शिक्षा बोर्ड की शक्तियां और कृत्य ।
19. परिचर्या और प्रसूति विद्या निर्धारण और रेटिंग बोर्ड की शक्तियां और कृत्य ।
20. परिचर्या और प्रसूति विद्या सदाचार और रजिस्ट्रीकरण बोर्ड की शक्तियां और कृत्य ।

खंड

21. नई परिचर्या या प्रसूति विद्या संस्था की स्थापना के लिए अनुज्ञा ।
22. प्रस्ताव के अनुमोदन या अननुमोदन के लिए मापदंड ।

अध्याय 4

राज्य परिचर्या और प्रसूति विद्या आयोग

23. राज्य परिचर्या और प्रसूति विद्या आयोग का गठन और संरचना ।
24. राज्य आयोग के कृत्य ।

अध्याय 5

रजिस्ट्रीकरण

25. राष्ट्रीय रजिस्टर और राज्य रजिस्टर ।
26. परिचर्या और प्रसूति विद्या वृत्तिकों के लिए राष्ट्रीय रजिस्टर या राज्य रजिस्टर में व्यवसाय करने की अनुज्ञप्ति और नामांकन के लिए व्यक्तियों के अधिकार तथा उसके संबंध में उनकी बाध्यताएं ।
27. व्यवसाय करने पर रोक ।

अध्याय 6

परिचर्या और प्रसूति विद्या अर्हताओं की मान्यता

28. भारत में विश्वविद्यालयों या परिचर्या और प्रसूति विद्या संस्थाओं द्वारा अनुदत्त परिचर्या और प्रसूति विद्या अर्हताओं की मान्यता ।
29. भारत से बाहर परिचर्या और प्रसूति विद्या संस्थाओं द्वारा अनुदत्त परिचर्या और प्रसूति विद्या अर्हताओं की मान्यता ।
30. भारत में कानूनी या अन्य निकाय द्वारा अनुदत्त परिचर्या और प्रसूति विद्या अर्हताओं की मान्यता ।
31. भारत में परिचर्या और प्रसूति विद्या संस्थाओं द्वारा अनुदत्त परिचर्या और प्रसूति विद्या अर्हता को अनुदत्त मान्यता वापस लेना ।
32. कतिपय दशाओं में परिचर्या और प्रसूति विद्या अर्हताओं की मान्यता के लिए विशेष उपबंध ।
33. भारत से बाहर परिचर्या और प्रसूति विद्या संस्थाओं द्वारा प्रदान की गई परिचर्या और प्रसूति विद्या अर्हताओं की मान्यता वापस लेना ।

अध्याय 7

परिचर्या और प्रसूति विद्या सलाहकार परिषद्

34. परिचर्या और प्रसूति विद्या सलाहकार परिषद् ।
35. परिचर्या और प्रसूति विद्या सलाहकार परिषद् के कृत्य ।
36. परिचर्या और प्रसूति विद्या सलाहकार परिषद् की बैठकें ।

अध्याय 8

अनुदान, संपरीक्षा और लेखा

37. केंद्रीय सरकार द्वारा अनुदान ।

खंड

38. राष्ट्रीय परिचर्या और प्रसूति विद्या आयोग निधि ।
39. संपरीक्षा और लेखा ।
40. विवरणियों और रिपोर्टों का केंद्रीय सरकार को प्रस्तुत किया जाना ।

अध्याय 9

प्रकीर्ण

41. केंद्रीय सरकार की राष्ट्रीय आयोग, स्वायत्त बोर्डों और परिचर्या और प्रसूति विद्या सलाहकार परिषद् को निदेश देने की शक्ति ।
42. केंद्रीय सरकार की राज्य सरकारों को निदेश देने की शक्ति ।
43. केंद्रीय आयोग की राज्य आयोगों को निदेश देने की शक्ति ।
44. राष्ट्रीय आयोग द्वारा दी जाने वाली जानकारी और उसका प्रकाशन ।
45. विश्वविद्यालयों और परिचर्या और प्रसूति विद्या संस्थाओं की बाध्यताएं ।
46. परिचर्या और प्रसूति विद्या संस्थाओं में अध्ययन पाठ्यक्रमों का पूरा किया जाना ।
47. राष्ट्रीय आयोग के और स्वायत्त बोर्डों के अध्यक्ष और सदस्यों का लोक सेवक होना ।
48. सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण ।
49. अपराधों का संज्ञान ।
50. केंद्रीय सरकार की राष्ट्रीय आयोग को अधिक्रांत करने की शक्ति ।
51. केंद्रीय सरकार की नियम बनाने की शक्ति ।
52. विनियम बनाने की शक्ति ।
53. राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति ।
54. नियमों और विनियमों का संसद् के समक्ष रखा जाना ।
55. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति ।
56. निरसन और व्यावृत्ति ।
57. संक्रमणकालीन उपबंध ।

2023 का विधेयक संख्यांक 93.

[दि नेशनल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी कमीशन बिल, 2023 का हिन्दी अनुवाद]

राष्ट्रीय परिचर्या और प्रसूति विद्या आयोग विधेयक, 2023

परिचर्या और प्रसूति विद्या वृत्तिकों द्वारा शिक्षा और सेवाओं के मानकों के विनियमन और अनुरक्षण, संस्थाओं के निर्धारण, राष्ट्रीय रजिस्टर और राज्य रजिस्टर के अनुरक्षण और पहुंच में सुधार करने, अनुसंधान और विकास के लिए प्रणाली के सृजन तथा अद्यतन वैज्ञानिक उन्नति के अंगीकरण और उससे सम्बन्धित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए विधेयक

भारत गणराज्य के चौहत्तरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

अध्याय 1

प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय परिचर्या और प्रसूति विद्या आयोग अधिनियम, 2023 है ।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत होगा जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे; और इस अधिनियम के विभिन्न उपबंधों के लिए भिन्न-भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी और ऐसे किसी उपबंध में इस अधिनियम के प्रारम्भ के प्रति निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि यह उस उपबंध के प्रवृत होने के प्रति निर्देश है ।

परिभाषाएं ।

2. इस अधिनियम में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "स्वायत्त बोर्ड" से धारा 11 के अधीन गठित स्वायत्त बोर्ड अभिप्रेत है ;

(ख) "अध्यक्ष" से धारा 4 के अधीन नियुक्त राष्ट्रीय परिचर्या और प्रसूति विद्या आयोग का अध्यक्ष अभिप्रेत है ;

(ग) "निधि" से धारा 38 में निर्दिष्ट राष्ट्रीय परिचर्या और प्रसूति विद्या आयोग निधि अभिप्रेत है ;

(घ) "प्रसूति विद्या" से प्रसूति महिलाओं, नवजात बच्चों और गर्भावस्था पूर्व, गर्भावस्था, जन्म, प्रसवोत्तर और जीवन के पूर्व सप्ताहों से सांतत्यक कुटुंबों के लिए कुशल, सुविज्ञ और अनुकंपा देखरेख अभिप्रेत है और उसमें निम्नलिखित सम्मिलित है—

(i) निवारक उपाय ;

(ii) प्रसामान्य जन्म की प्रोन्नति ;

(iii) माता और शिशु में समस्याओं का पता लगाना ;

(iv) चिकित्सा देखरेख और अन्य समुचित सहायता का निर्धारण ;

(v) समुचित और समय पर परामर्श ; और

(vi) राष्ट्रीय परिचर्या और प्रसूति विद्या आयोग द्वारा यथा विनिर्दिष्ट व्यवसाय के क्षेत्र के अनुसार आपात उपायों का कार्यान्वयन ;

(ङ) "प्रसूति विद्या सहायक" से स्वास्थ्य दल का ऐसा सदस्य अभिप्रेत है, जिसने मान्यताप्राप्त अर्हता अर्जित की है और जिसे राष्ट्रीय परिचर्या और प्रसूति विद्या आयोग द्वारा प्रसूति विद्या सहायक के रूप में व्यवसाय करने के लिए अनुज्ञप्ति प्रदान की गई है, जो—

(i) शिशुओं के जन्म में प्रसूति विद्या चिकित्सकों या नर्स व्यवसायियों की सहायता करता है ; और

(ii) गर्भावस्था, प्रसव पीड़ा अवधि और प्रसवोत्तर अवधि के दौरान देखरेख प्रदान करता है और राष्ट्रीय परिचर्या और प्रसूति विद्या आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट व्यवसाय के क्षेत्र के अनुसार शिशु देखरेख के लिए माता-पिता को अनुदेश देता है;

(च) "प्रसूति विद्या वृतिक" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जिसने मान्यताप्राप्त बुनियादी और उच्च अर्हता प्राप्त की है और जिसे राष्ट्रीय परिचर्या और प्रसूति विद्या आयोग द्वारा व्यवसाय करने के लिए अनुज्ञप्ति प्रदान की गई है ;

(छ) "राष्ट्रीय आयोग" से धारा 3 के अधीन गठित राष्ट्रीय परिचर्या और प्रसूति विद्या आयोग अभिप्रेत है ;

(ज) "राष्ट्रीय रजिस्टर" से धारा 26 के अधीन राष्ट्रीय परिचर्या और प्रसूति विद्या आचार और रजिस्ट्रीकरण बोर्ड द्वारा अनुरक्षित भारतीय नर्स और सेविका रजिस्टर अभिप्रेत है ;

(झ) "अधिसूचना" से यथास्थिति, भारत के राजपत्र या राज्य के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना अभिप्रेत है और "अधिसूचित" पद का उसकी व्याकरणिक भिन्नता और सजातीय पदों के साथ तदनुसार अर्थ लगाया जाएगा ;

(ञ) "नर्स" से ऐसा स्वास्थ्य देखरेख वृत्तिक अभिप्रेत है—

(i) जिसने बुनियादी, सामान्यीकृत परिचर्या शिक्षा पर औपचारिक रूप से मान्यताप्राप्त कार्यक्रम पूर्ण किया है और अपेक्षित अर्हता अर्जित की है और जिसे राष्ट्रीय परिचर्या और प्रसूति विद्या आयोग द्वारा व्यवसाय की अनुज्ञप्ति प्रदान की गई है ; और

(ii) परिचर्या के व्यवसाय में सक्षमता प्रदर्शित की है ;

(ट) "परिचर्या व्यवसायी" से ऐसी अनुज्ञप्तिधारी नर्स अभिप्रेत है—

(i) जिसने औपचारिक रूप से मान्यताप्राप्त उन्नत शिक्षा और प्रशिक्षण कार्यक्रम को पूरा किया है और अपेक्षित अर्हता अर्जित की है और जिसे राष्ट्रीय परिचर्या और प्रसूति विद्या आयोग द्वारा व्यवसाय की अनुज्ञप्ति प्रदान की गई है ; और

(ii) जिसने व्यवसाय के क्षेत्र के लिए, जटिल विनिश्चय करने में नैदानिक सक्षमता का प्रदर्शन किया है और विशेषज्ञता के क्षेत्र में विशेषज्ञ ज्ञान रखता हो ;

(ठ) "प्रसूति विद्या में नर्स व्यवसायी" से ऐसा अनुज्ञप्तिधारी नर्स अभिप्रेत है—

(i) जिसने औपचारिक रूप से मान्यताप्राप्त उन्नत शिक्षा और प्रशिक्षण कार्यक्रम को पूरा किया है और अपेक्षित अर्हता अर्जित की है और जिसे राष्ट्रीय आयोग द्वारा व्यवसाय की अनुज्ञप्ति प्रदान की गई है ; और

(ii) जिसने व्यवसाय के क्षेत्र के लिए, जटिल विनिश्चय करने में नैदानिक सक्षमता का प्रदर्शन किया है और विशेषज्ञता के क्षेत्र में विशेषज्ञ ज्ञान रखता हो ;

(ड) "परिचर्या" से सभी आयु के रोगी या स्वस्थ व्यष्टियों, कुटुंबों, समूहों और समुदायों की स्वायत्त और सहयोगकारी देखरेख अभिप्रेत है और उसमें स्वास्थ्य का संवर्धन, बीमारी की रोकथाम, सभी स्वास्थ्य देखरेख में शारीरिक रूप से बीमार, मानसिक रूप से बीमार, असशक्त और मरणासन्न व्यक्ति की देखरेख और—

(i) स्वास्थ्य देखरेख शिक्षण के कार्यान्वयन;

(ii) स्वास्थ्य देखरेख दल के सदस्य के रूप में भाग लेने ;

(iii) परिचर्या और स्वास्थ्य देखरेख सहायक, अतिरिक्त मुख्य परिचर्या भूमिका, जिसके अंतर्गत सुरक्षित वातावरण, अनुसंधान का समर्थन, उन्नयन, स्वास्थ्य नीति बनाना, रोगी स्वास्थ्य प्रणाली प्रबंधन और शिक्षा में भाग लेना भी है, के पर्यवेक्षण और प्रशिक्षण द्वारा अन्य सामुदायिक विन्यास, सम्मिलित है ;

(ढ) "परिचर्या और प्रसूति विद्या निर्धारण और रेटिंग बोर्ड" से धारा 11 की उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन गठित परिचर्या और प्रसूति विद्या निर्धारण और रेटिंग बोर्ड अभिप्रेत है ;

(ण) "परिचर्या और प्रसूति विद्या आचार और रजिस्ट्रीकरण बोर्ड" से धारा 11 की उपधारा (1) के खंड (ग) के अधीन गठित परिचर्या और प्रसूति विद्या आचार और रजिस्ट्रीकरण बोर्ड अभिप्रेत है ;

(त) "परिचर्या और प्रसूति विद्या संस्था" से भारत के भीतर अधिनियम के अधीन मान्यताप्राप्त कोई शैक्षिक और प्रशिक्षण संस्था या कोई अनुसंधान संस्था अभिप्रेत है, जो परिचर्या और प्रसूति विद्या में डिप्लोमा या स्नातकपूर्व या स्नातकोत्तर या कोई अन्य डिग्री पश्चात् डिप्लोमा या प्रमाणपत्र प्रदान करती है और उसमें सहबद्ध महाविद्यालय और समझे गए विश्वविद्यालय भी सम्मिलित हैं ;

(थ) "नर्स और प्रसूति विद्या लीडर" से ऐसा परिचर्या और प्रसूति विद्या वृतिक अभिप्रेत है, जो परिचर्या शिक्षा संस्था का संकायाध्यक्ष या परिचर्या महाविद्यालय का प्रधानाध्यक्ष या उप प्रधानाध्यक्ष या किसी संस्था या स्वास्थ्य देखरेख सुविधा के परिचर्या और प्रसूति विद्या विभाग का परिचर्या अधीक्षक या मुख्य परिचर्या अधिकारी है और ऐसी अर्हताएं और अनुभव रखता हो, जो विहित की जाए ;

(द) "परिचर्या और प्रसूति विद्या स्नातकपूर्व और स्नातकोत्तर शिक्षा बोर्ड" से धारा 11 की उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन गठित परिचर्या और प्रसूति विद्या स्नातकपूर्व और स्नातकोत्तर शिक्षा बोर्ड अभिप्रेत है ;

(ध) "परिचर्या सहायक" से स्वास्थ्य दल का ऐसा सदस्य अभिप्रेत है, जिसने मान्यताप्राप्त अर्हता अर्जित की है और जिसे राष्ट्रीय आयोग द्वारा परिचर्या सहायक के रूप में व्यवसाय करने के लिए अनुज्ञप्ति प्रदान की गई है, जो रोगी और क्षतिग्रस्त व्यक्तियों के लिए देखरेख प्रदान करता है, जिसके अंतर्गत वे व्यक्ति भी सम्मिलित हैं, जिन्हें विभिन्न स्वास्थ्य विन्यासों में व्यवसाय के प्राधिकृत क्षेत्र के भीतर परिचर्या देखरेख की आवश्यकता है ;

(न) "परिचर्या वृतिक" से राष्ट्रीय आयोग के साथ रजिस्ट्रीकृत नर्स अभिप्रेत है, जो बुनियादी और उच्च अर्हता रखता हो और उसमें किसी विशिष्ट विषय का नर्स व्यवसायी सम्मिलित है ;

(प) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है ;

(फ) "अर्हता" से ऐसे पाठ्यक्रमों या कार्यक्रमों की विनिर्दिष्ट पाठ्यचर्या को सम्मिलित करके पाठ्यक्रम का स्तर अभिप्रेत है, जैसे कि डिप्लोमा, स्नातकपूर्व डिग्री, स्नातकोत्तर डिग्री और उच्चतर अर्हता जिसके अन्तर्गत प्रमाणन पाठ्यक्रम भी है ;

(ब) "मान्यताप्राप्त परिचर्या और प्रसूति विद्या अर्हता" से, यथास्थिति, धारा 28 या धारा 29 या धारा 32 के अधीन मान्यताप्राप्त परिचर्या और प्रसूति विद्या

अर्हता अभिप्रेत है ;

(भ) "रजिस्ट्रीकृत वृतिक" से ऐसा परिचर्या और प्रसूति विद्या सहायक या वृतिक अभिप्रेत है, जो धारा 25 के अधीन, यथास्थिति, किसी राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग के साथ रजिस्ट्रीकृत है ;

(म) "विनियम" से धारा 52 के अधीन आयोग द्वारा बनाए गए विनियम अभिप्रेत हैं ;

(य) "राज्य आयोग" से धारा 24 के अधीन गठित राष्ट्रीय परिचर्या और प्रसूति विद्या आयोग अभिप्रेत है ;

(यक) "राज्य रजिस्टर" से धारा 25 के अधीन राज्य आयोग द्वारा अनुरक्षित परिचर्या और प्रसूति विद्या वृत्तिकों के लिए राज्य रजिस्टर या परिचर्या सहायकों और प्रसूति विद्या सहायकों के लिए राज्य रजिस्टर अभिप्रेत है ;

(यख) "विश्वविद्यालय" का वही अर्थ होगा जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 2 के खंड (च) में उसका है और इसके अंतर्गत धारा 3 के अधीन विश्वविद्यालय समझे जाने के लिए घोषित संस्था भी है ।

1956 का 3

अध्याय 2

परिचर्या और प्रसूति विद्या आयोग

राष्ट्रीय परिचर्या और प्रसूति विद्या आयोग ।

3. (1) केन्द्रीय सरकार, इस अधिनियम के अधीन अधिसूचना द्वारा एक आयोग का गठन करेगी जो राष्ट्रीय परिचर्या और प्रसूति विद्या आयोग के नाम से ज्ञात होगा और उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग और उसको समनुदेशित कृत्यों का पालन करेगा ।

(2) आयोग, पूर्वोक्त नाम का शाश्वत् उत्तराधिकार और सामान्य मुद्रा वाला एक निगमित निकाय होगा और जिसे इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए जंगम और स्थावर दोनों प्रकार की संपत्ति का अर्जन, धारण और व्ययन करने तथा संविदा करने की शक्ति होगी और वह उक्त नाम से वाद लाएगा और उस पर वाद लाया जाएगा ।

(3) आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा ।

आयोग की संरचना ।

4. आयोग निम्नलिखित एक अध्यक्ष, सोलह पदेन सदस्यों और बारह सदस्यों से मिलकर बनेगा, अर्थात् :—

(क) केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किए जाने वाला उत्कृष्ट योग्यता, प्रमाणित प्रशासनिक क्षमता और सत्यनिष्ठा वाला ऐसा व्यक्ति, जिसके पास किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से परिचर्या और प्रसूति विद्या वृति में स्नातकोत्तर उपाधि हो और जिसके पास परिचर्या और प्रसूति विद्या के क्षेत्र में कम से कम बीस वर्ष का अनुभव हो जिसमें से कम से कम दस वर्ष परिचर्या और प्रसूति विद्या लीडर के रूप में हो—अध्यक्ष ;

(ख) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग का भारत सरकार के संयुक्त सचिव से अन्यून पंक्ति का एक

प्रतिनिधि जो परिचर्या और प्रसूति विद्या का भारसाधक हो—पदेन सदस्य;

(ग) रक्षा मंत्रालय का एक प्रतिनिधि जो सशस्त्र बल चिकित्सा सेवाएं महानिदेशालय में भारत सरकार की सेना परिचर्या सेवाओं में अतिरिक्त महानिदेशक से अन्यून पंक्ति का न हो—पदेन सदस्य ;

(घ) स्वास्थ्य सेवाएं महानिदेशालय का अपर महानिदेशक से अन्यून पंक्ति का एक प्रतिनिधि—पदेन सदस्य;

(ङ) राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का भारत सरकार के उप सचिव से अन्यून पंक्ति का एक प्रतिनिधि- पदेन सदस्य;

(च) धारा 11 के अधीन गठित प्रत्येक स्वायत्त बोर्ड का अध्यक्ष—पदेन सदस्य;

(छ) केंद्रीय सरकार द्वारा केंद्रीय सरकार के अस्पताल या प्रख्यात परिचर्या और प्रसूति विद्या संस्था से ऐसी रीति में जो विहित की जाए, नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले यथास्थिति किसी अस्पताल के मुख्य परिचर्या अधिकारी या परिचर्या अधीक्षक या परिचर्या महाविद्यालय के संकायाध्यक्ष या प्रधानाचार्य से अन्यून पंक्ति के तीन व्यक्ति—पदेन सदस्य;

(ज) राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों के आंचलिक वितरण के अनुसार वर्णानुक्रमिका क्रम में दैवार्षिक चक्रानुक्रम में ऐसी रीति में जो विहित की जाए छह क्षेत्रों, जो विहित किए जाएं में प्रत्येक से अध्यक्ष की पंक्ति से अन्यून एक प्रतिनिधि, जो राज्य आयोगों का प्रतिनिधित्व करने वाले परिचर्या और प्रसूति विज्ञान वृत्तिक होंगे—पदेन सदस्य;

(झ) राज्य सरकार द्वारा ऐसी रीति में जो विहित की जाए, नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले उत्कृष्ट योग्यता, प्रमाणित प्रशासनिक क्षमता और सत्यनिष्ठा वाले छह अंचलों में से जो विहित किए जाए छह प्रख्यात परिचर्या सदस्य, जिनके पास किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से परिचर्या और प्रसूति विद्या वृत्तिक में स्नातकोत्तर उपाधि हो और जिसके पास परिचर्या और प्रसूति विद्या के क्षेत्र में कम से कम पंद्रह वर्ष का अनुभव हो जिसमें से कम से कम सात वर्ष परिचर्या और प्रसूति विद्या लीडर के रूप में हो—सदस्य;

परंतु खंड (ज) और खंड (झ) के अधीन रूपित राज्य और संघ राज्यक्षेत्रों भिन्न भिन्न होंगे;

(ञ) केंद्रीय सरकार द्वारा ऐसी रीति में जो विहित की जाए, नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले उत्कृष्ट योग्यता, प्रमाणित प्रशासनिक क्षमता और सत्यनिष्ठा वाले चार परिचर्या और प्रसूति विद्या सदस्य, जिनमें से कम से कम दो सदस्य प्रसूति विद्या वृत्तिक होंगे, जिसके पास किसी विश्वविद्यालय से परिचर्या और प्रसूति विद्या की किसी विद्याशाखा में स्नातकोत्तर उपाधि हो और जिसके पास परिचर्या और प्रसूति विद्या के क्षेत्र में कम से कम पंद्रह वर्ष का अनुभव हो जिसमें से कम से कम सात वर्ष परिचर्या और प्रसूति विद्या लीडर के रूप में हो—सदस्य;

(ट) परिचर्या और प्रसूति विद्या के क्षेत्र में शिक्षा और सेवाओं में लगी हुई

पूर्त संस्थाओं का और ऐसी अर्हता और अनुभव रखने वाला केन्द्रीय सरकार द्वारा ऐसी रीति में जो विहित की जाए, नियुक्ति किए जाने वाला एक प्रतिनिधि—सदस्य;

(ठ) केंद्रीय सरकार द्वारा ऐसी रीति में जो विहित की जाए, योग्यता, सत्यनिष्ठा और प्रतिष्ठा वाले ऐसे व्यक्तियों में से नियुक्त किए जाने वाला एक प्रख्यात व्यक्ति, जिसके पास ऐसे क्षेत्रों में जिनके अंतर्गत प्रबंध, विधि, चिकित्सीय आचार, स्वास्थ्य संबंधी अनुसंधान, उपभोक्ता या पेटेंट अधिकार वकालत, विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा अर्थशास्त्र भी है, विशेष ज्ञान और वृत्तिक अनुभव हों—सदस्य ।

राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए खोजबीन-सह-चयन समिति ।

5. (1) केन्द्रीय सरकार—

(i) धारा 4 के खंड (क), खंड (ञ), खंड (ट) और खंड (ठ) में निर्दिष्ट अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करेगी ;

(ii) धारा 8 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट सचिव नियुक्ति करेगी ; और

(iii) निम्नलिखित से मिलकर बनी खोजबीन-सह-चयन समिति की सिफारिश पर धारा 12 की उपधारा (3), उपधारा (4) और उपधारा (5) में निर्दिष्ट स्वायत्त बोर्डों के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करेगी,—

(क) सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय—अध्यक्ष ;

(ख) केन्द्रीय सरकार द्वारा ऐसी रीति में विहित की जाए नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले चार परिचर्या और प्रसूति विद्या विशेषज्ञ, जो परिचर्या और प्रसूति विद्या शिक्षा, लोक स्वास्थ्य परिचर्या शिक्षा और परिचर्या स्वास्थ्य अनुसंधान के क्षेत्र में उत्कृष्ट अर्हताएं और कम से कम पच्चीस वर्ष का अनुभव रखते हो—सदस्य ;

(ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा ऐसी रीति में विहित की जाए नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला एक ऐसा व्यक्ति, जो प्रबंध या विधि या अर्थशास्त्र या विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उत्कृष्ट अर्हताएं और कम से कम पच्चीस वर्ष का अनुभव रखता हो—सदस्य ;

(घ) भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में परिचर्या का भारसाधक संयुक्त सचिव या अपर सचिव, जो संयोजक होगा—सदस्य :

(2) केन्द्रीय सरकार, किसी रिक्ति के होने, जिसके अन्तर्गत, अध्यक्ष या सचिव या किसी सदस्य की मृत्यु, पदत्याग या हटाए जाने के कारण हुई रिक्ति भी है, की तारीख से एक मास के भीतर या अध्यक्ष या सचिव अथवा सदस्य की पदावधि की समाप्ति से पूर्व तीन मास के भीतर रिक्ति को भरने के लिए खोजबीन-सह-चयन समिति को निर्देश करेगी ।

(3) खोजबीन-सह-चयन समिति उसको निर्दिष्ट प्रत्येक रिक्ति के लिए कम से कम तीन नामों के एक पैनल की सिफारिश करेगी ।

(4) अध्यक्ष या सचिव या सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए किसी व्यक्ति की सिफारिश करने से पूर्व, खोजबीन-सह-चयन समिति स्वयं का यह समाधान करेगी कि ऐसा कोई व्यक्ति ऐसा वितीय या अन्य हित नहीं रखता है जिससे अध्यक्ष या सदस्य के उस रूप में उसके कृत्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है ।

(5) राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष या सचिव या सदस्य की नियुक्ति या यथास्थिति, स्वायत्त बोर्डों के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति, केवल खोजबीन-सह-चयन समिति में सदस्य की किसी रिक्ति या अनुपस्थिति के कारण अविधिमान्य नहीं होगी ।

(6) उपधारा (2) से उपधारा (5) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, खोजबीन- सह-चयन समिति अपनी स्वयं की प्रक्रिया विनियमित कर सकेगी ।

राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की पदावधि और सेवा की शर्तें ।

6. (1) धारा 4 के खंड (झ), खंड (ञ), खंड (ट) और खंड (ठ) में निर्दिष्ट राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष, सचिव और सदस्य अपना पद ग्रहण करने तारीख से चार वर्ष से अनधिक की अवधि के लिए पदधारण करेंगे जैसा कि इस संबंध में केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए और वे किसी विस्तार या पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे ।

(2) कोई व्यक्ति जिसने आवेदन की तारीख को 65 वर्ष की आयु पूरी कर ली है, वह राष्ट्रीय आयोग में सदस्य के पद के लिए पात्र नहीं होगा ।

(3) पदेन सदस्य की पदावधि तब तक बनी रहेगी, जब तक वह उस आधार पर, जिसका वह ऐसा सदस्य है, पदधारण करता है ।

(4) जहां धारा 4 के खंड (झ), खंड (ञ), खंड (ट) और खंड (ठ) के अधीन नियुक्त राष्ट्रीय आयोग कोई सदस्य, राष्ट्रीय आयोग के तीन क्रमवर्ती साधारण बैठकों में अनुपस्थित रहता है और उसकी ऐसी अनुपस्थिति का कारण आयोग की राय में किसी विधिमान्य कारण के लिए नहीं माना जाता है वहां ऐसे सदस्य के बारे में यह समझा जाएगा कि उसने अपना स्थान रिक्त कर दिया है ।

(5) राष्ट्रीय आयोग का अध्यक्ष और धारा 4 के खंड (झ), खंड (ञ), खंड (ट) और खंड (ठ) में निर्दिष्ट राष्ट्रीय आयोग के सदस्य ऐसा वेतन या यात्रा और अन्य भते प्राप्त करेगा, जो विहित किए जाएं ।

(6) उपधारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, अध्यक्ष या धारा 4 के खंड (झ), खंड (ञ), खंड (ट) और खंड (ठ) के अधीन नियुक्त राष्ट्रीय आयोग कोई सदस्य—

(क) केन्द्रीय सरकार को कम से कम तीन मास की लिखित में सूचना देकर अपना पद त्याग सकेगा ; या

(ख) धारा 7 के उपबंधों के अनुसार उसे पद से हटाया जा सकेगा :

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार ऐसा विनिश्चय करे तो, ऐसे व्यक्ति को तीन मास से पहले कर्तव्यों से कार्य मुक्त किया जा सकेगा या तीन मास से आगे उत्तरवर्ती नियुक्त किए जाने तक, बने रहने के लिए अनुज्ञात किया जा सकेगा ।

(7) राष्ट्रीय आयोग का अध्यक्ष और प्रत्येक सदस्य अपना पद ग्रहण करते समय और अपना पद छोड़ते समय अपनी आस्तियों तथा दायित्वों की घोषणा और अपनी

वृत्तिक तथा वाणिज्यिक विनियोजन या अन्तर्गस्ता को ऐसे प्ररूप और रीति में घोषित करेगा जो विहित की जाए और ऐसी घोषणा आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी ।

(8) अध्यक्ष या धारा 4 के खंड (झ), खंड (ञ), खंड (ट) और खंड (ठ) के अधीन नियुक्त राष्ट्रीय आयोग कोई सदस्य, उस रूप में पद धारण करने से प्रविरत हो जाने पर, ऐसे पद को त्यागने की तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिए किसी भी हैसियत में, जिसके अन्तर्गत कोई परामर्शी या कोई विशेषज्ञ भी है, परिचर्या और प्रसूति विद्या की किसी प्राइवेट चिकित्सा संस्था में, जिसका मामला ऐसे अध्यक्ष या सदस्य द्वारा प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः निपटाया गया है, कोई नियोजन स्वीकार नहीं करेगा:

परंतु इसमें अंतर्विष्ट किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह ऐसे व्यक्ति को केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा नियंत्रित या अनुरक्षित निकाय या संस्था, जिसके अन्तर्गत परिचर्या और प्रसूति विद्या संस्था भी है, में कोई नियोजन स्वीकार करने से रोकती है ;

परंतु इसमें अंतर्विष्ट कोई बात, केन्द्रीय सरकार को राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष या किसी सदस्य को परिचर्या और प्रसूति विद्या की किसी ऐसी प्राइवेट चिकित्सा संस्था में किसी भी हैसियत में जिसके अन्तर्गत परामर्शदाता या विशेषज्ञ भी है, जिसका मामला ऐसे अध्यक्ष या सदस्य द्वारा निपटाया गया है, में कोई नियोजन स्वीकार करने के लिए अनुज्ञा प्रदान करने से निवारित नहीं करेगी ।

राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष या सदस्यों का हटाया जाना ।

7. (1) केन्द्रीय सरकार, आदेश द्वारा, राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य को पद से हटा सकेगी—

(क) जिसे दिवाला न्यायनिर्णीत किया गया है ; या

(ख) जिसे ऐसे किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है जिसमें केन्द्रीय सरकार की राय में नैतिक अधमता अंतर्गस्त है ;

(ग) जो अध्यक्ष या सदस्य के रूप में शारीरिक या मानसिक रूप से कार्य करने में असमर्थ हो गया है; या

(घ) जो विकृत चित्त का है और किसी सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसी घोषणा विद्यमान है;

(ङ) जिसने ऐसा वित्तीय या अन्य हित अर्जित कर लिया है जिससे सदस्य के रूप में उसके कृत्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है; या

(च) जिसने अपने पद का इस प्रकार दुरूपयोग किया है जिसके कारण सदस्य के रूप में पद पर बने रहना लोकहित में प्रतिकूल है ;

(2) किसी सदस्य को उपधारा (1) के खंड (ङ) और खंड (च) के अधीन तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक उसे मामले में सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान न कर दिया गया हो ।

राष्ट्रीय आयोग के सचिव और अन्य कर्मचारी ।

8. (1) आयोग का एक सचिवालय होगा जिसका प्रधान सचिव होगा और जिसकी नियुक्ति धारा 5 के उपबंधों के अनुसार केन्द्रीय सरकार द्वारा की जाएगी ।

(2) आयोग का सचिव उत्कृष्ट योग्यता, प्रमाणित प्रशासनिक योग्यता और

सत्यनिष्ठा वाला ऐसा व्यक्ति होगा जिसके पास ऐसी अर्हताएं और अनुभव हो, जो विहित किया जाए ।

(3) सचिव, चार वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा और वह किसी विस्तार या पुनर्नियुक्ति का पात्र नहीं होगा ।

(4) सचिव, धारा 11 के अधीन गठित प्रत्येक स्वायत्त बोर्ड का सदस्य सचिव भी होगा ।

(5) सचिव, राष्ट्रीय आयोग और धारा 11 के अधीन गठित प्रत्येक स्वायत्त बोर्ड के ऐसे कृत्यों का निर्वहन करेगा, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं ।

(6) राष्ट्रीय आयोग, इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के दक्ष निर्वहन के लिए सचिव से भिन्न राष्ट्रीय आयोग के ऐसे अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति कर सकेगा, जो वह राष्ट्रीय आयोग द्वारा यथा अभिशंसित केन्द्रीय सरकार द्वारा सृजित पदों के विरुद्ध आवश्यक समझे ।

(7) राष्ट्रीय आयोग के सचिव, अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को संदेय वेतन तथा भत्ते और उनकी सेवा के अन्य निबंधन तथा शर्तें वे होंगी, जो विहित की जाएं ।

(8) राष्ट्रीय आयोग विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार, उतनी संख्या में, जितनी वह इस अधिनियम के अधीन राष्ट्रीय आयोग के कृत्यों के निवर्हन में राष्ट्रीय आयोग की सहायता करने के लिए आवश्यक समझे, सत्यनिष्ठा और उत्कृष्ट योग्यता वाले ऐसे विशेषज्ञों, परामर्शियों और वृत्तिकों को नियुक्त कर सकेगा, जो ऐसे क्षेत्रों में विशेष ज्ञान और अनुभव रखते है जिसके अंतर्गत परिचर्या और प्रसूति विद्या शिक्षा, लोक स्वास्थ्य परिचर्या, प्रबंध, स्वास्थ्य अर्थशास्त्र, क्वालिटी आश्वासन, पेटेंट वकालत, परिचर्या अनुसंधान, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, प्रशासन, वित्त, सूचना प्रौद्योगिकी, सांख्यिकी, परिचर्या सूचना विज्ञान, लेखा और विधि भी हैं ।

(9) राष्ट्रीय आयोग, प्रक्रिया के अनुसार, विदेशों से इतनी संख्या में विशेषज्ञों और डोमेन विशेषज्ञों को राष्ट्रीय आयोग की बैठकों में आमंत्रित कर सकेगा, जैसा कि विनियमों द्वारा निर्दिष्ट किया जाए, जिन्हें परिचर्या और प्रसूतिविद्या पाठ्यक्रम व्यवसायिक प्रशिक्षण और परीक्षा की पद्धति का विशेष ज्ञान है जिसके अंतर्गत वैश्विक गतिशीलता और रजिस्ट्रीकृत वृत्तिकों की रोजगार क्षमता को सुकर बनाने के लिए सुसंगत विदेशी देश की अनुज्ञप्ति परीक्षा, जैसा वह उचित समझे, भी है ।

राष्ट्रीय आयोग की बैठकें, प्रशासन, आदि ।

9. (1) राष्ट्रीय आयोग तीन मास में कम से कम एक बार ऐसे समय और स्थान पर बैठक करेगा जो अध्यक्ष द्वारा नियत किया जाए ।

(2) अध्यक्ष राष्ट्रीय आयोग की बैठक की अध्यक्षता करेगा और यदि, किसी कारण से अध्यक्ष आयोग की बैठक में उपस्थित होने में असमर्थ है तो ऐसा कोई सदस्य, जो किसी स्वायत्त बोर्डों का प्रधान है और जो अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट किया गया हो बैठक की अध्यक्षता करेगा ।

(3) जब तक राष्ट्रीय आयोग की बैठकों में अनुसरित की जाने वाली प्रक्रिया विनियमों द्वारा अन्यथा उपबंधित नहीं कर दी जाती है तब तक राष्ट्रीय आयोग के सदस्यों की कुल संख्या का आधा, जिसके अंतर्गत अध्यक्ष भी है, गणपूर्ति गठित करेगा और राष्ट्रीय आयोग के सभी विनिश्चय उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के

बहुमत द्वारा किए जाएंगे तथा मतों के बराबर होने की दशा में, अध्यक्ष या उसकी उपस्थिति में उपधारा (2) के अधीन नामनिर्दिष्ट स्वायत्त बोर्ड के प्रधान का निर्णायक मत होगा ।

(4) आयोग के प्रशासन का साधारण अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण अध्यक्ष में निहित होगा ।

(5) राष्ट्रीय आयोग का कोई कार्य राष्ट्रीय आयोग में विद्यमान किसी रिक्ति या उसके गठन में किसी त्रुटि के आधार पर प्रश्नगत नहीं किया जाएगा ।

राष्ट्रीय आयोग की शक्तियां और कृत्य ।

10. (1) राष्ट्रीय आयोग कालिक पुनरीक्षणों के साथ जो विनियमों द्वारा विनिश्चित किए जाएं ऐसे सभी कदम उठा सकेगा जो शिक्षा का समन्वित और एकीकृत विकास सुनिश्चित करने के लिए तथा सेवाओं के परिदान के मानकों का अनुरक्षण करने के लिए उपयुक्त समझे ।

(2) राष्ट्रीय आयोग निम्नलिखित कृत्यों का निर्वहन करने के प्रयोजनों के लिए विनियम बना सकेगा, अर्थात्:—

(क) परिचर्या और प्रसूति विद्या शिक्षा तथा प्रशिक्षण के शासन के लिए नीतियों की विरचना करना और मानकों का विनियमन करना;

(ख) परिचर्या और प्रसूति विद्या संस्थाओं, अनुसंधानकर्ताओं, वृत्तिकों और सहायकों का विनियमन करना ;

(ग) परिचर्या और प्रसूति विद्या वृति के किन्ही अन्य प्रवर्गों को परिलक्षित और विनियमित करना ;

(घ) शिक्षा के बुनियादी मानक, भौतिक और अनुदेशीय सुविधाएं, निर्धारण, परीक्षा, प्रशिक्षण, अनुसंधान, सतत् वृतिक शिक्षा और विभिन्न प्रवर्गों के संबंध में संदेय अधिकतम अध्यापन फीस का उपबंध करना;

(ङ) शिक्षण संस्थाओं में परिचर्या और प्रसूति विद्या संकाय और नैदानिक सुविधा के लिए मानकों का उपबंध करना ;

(च) परिचर्या और प्रसूति विद्या संस्थाओं में विभिन्न स्तरों पर प्रवेश के लिए समान तंत्र, का उपबंध करना :

स्पष्टीकरण—इस खंड के प्रयोजनों के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि प्राधिकारी, जो केंद्रीय सरकार द्वारा पदाभिहित किया जाए, अखिल भारतीय स्तर पर ऐसी समान रीति में परिचर्या और प्रसूति विद्या संस्थाओं में प्रवेश करेगा और प्राधिकारी, जो राज्य सरकार द्वारा पदाभिहित किया जाए, राज्य स्तर पर परिचर्या और प्रसूति विद्या संस्थाओं में समान रीति से प्रवेश करेगा ;

(छ) यथास्थिति राष्ट्रीय रजिस्टर या राज्य रजिस्टर में नामांकन के लिए और परिचर्या और प्रसूति विद्या वृतिक के रूप में व्यवसाय के लिए अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने के लिए परिचर्या और प्रसूति विद्या वृतिकों की पर्याप्त सक्षमता सुनिश्चित करने के लिए तंत्र, या तो स्नातकपूर्व अंतिम वर्ष परीक्षा या अन्यथा के लिए उपबंध करना ;

(ज) परिचर्या और प्रसूतिविद्या के क्षेत्र में नवाचार और अनुसंधान को

चलाने के लिए अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी और हाइब्रिड शिक्षा के उपयोग के लिए उद्योग और अन्य संस्थानों के साथ सहयोग करना:

(झ) परिचर्या और प्रसूतिविद्या अर्हता के पाठ्यक्रम में प्रक्रिया कौशल और वैकल्पिक पाठ्यक्रमों को एकीकृत करना और वैश्विक गतिशीलता को सुकर बनाने के लिए रजिस्ट्रीकृत वृत्तिकों के कौशल और सक्षमता को बढ़ाने के उपाय करना:

(ञ) स्वास्थ्य देखरेख में परिचर्या और प्रसूति विद्या अपेक्षाओं का निर्धारण करना जिसके अंतर्गत यथा लागू समुचित पार्श्विक स्तर सहित विभिन्न स्वास्थ्य देखरेख विन्यासों के लिए मानव संसाधन, परिचर्या और प्रसूति विद्या संबंधित सभी काडरों के लिए कैरियर विकास पथ्या के लिए तंत्र का उपबंध करना भी है और उससे संबंधित मामलों पर केन्द्रीय सरकार को सलाह देना;

(ट) परिचर्या और प्रसूति विद्या वृत्ति में वृतिक आचार का पालन सुनिश्चित करने के लिए नीतियां और आचार सुनिश्चित करना और परिचर्या और प्रसूति विद्या जिसके अंतर्गत परिचर्या सहायक और प्रसूति विद्या सहायक भी हैं, द्वारा देखरेख के उपबंधों के दौरान नैतिक आचरण की अभिवृद्धि करना;

(ठ) राष्ट्रीय आयोग, स्वायत्त बोर्डों, सलाहकारी परिषद् और राज्य आयोगों की उचित कृत्यकारी का संवर्धन करना, उनका समन्वय करना और उनके लिए मार्गदर्शक सिद्धांतों की विरचना करना और नीतियां अधिकथित करना ;

(ड) स्वायत्त बोर्डों के मध्य समन्वय सुनिश्चित करना;

(ढ) ऐसे उपाय करना जो राज्यों आयोगों द्वारा उनके प्रभावी कृत्यकारी के लिए अधिनियम के अधीन विरचित मार्गदर्शक सिद्धांतों और बनाए गए विनियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हो;

(ण) स्वायत्त बोर्डों के विनिश्चयों के संबंध में अपीलीय अधिकारिता का उपयोग करना;

(त) ऐसे अन्य कृत्यों का निर्वहन करना जो विहित किए जाएं ।

(3) राष्ट्रीय आयोग विनियम बनाने की शक्ति के सिवाय अपने ऐसे कृत्यों को स्वायत्त बोर्डों को प्रत्यायोजित कर सकेगा जो वह उचित समझे ।

(4) राष्ट्रीय आयोग वर्ष में कम से कम एक बार राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग, भारतीय भेषज परिषद्, राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा प्रणाली आयोग, राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग और राष्ट्रीय सहबद्ध और स्वास्थ्य देखरेख वृत्ति आयोग या उक्त वृतिकों को व विनियमित करने के लिए तत्स्थानी राष्ट्रीय विनियामक आयोग के साथ ऐसे समय और स्थान पर जो वे पारस्परिक रूप से नियत करें आधुनिक चिकित्सा प्रणाली के विभिन्न कार्यबल प्रवर्गों के मध्य हस्तक्षेप में अभिवृद्धि के लिए, स्वास्थ्य देखरेख परिदान के मुद्दे पर सहमति का विकास करने और दल आधारित पहुंच की अभिवृद्धि करने के लिए आयोजित करेगा ।

(5) राष्ट्रीय आयोग का प्रत्येक आदेश और विनिश्चय उसके सचिव के हस्ताक्षर द्वारा अधिप्रमाणित किया जाएगा ।

(6) राष्ट्रीय आयोग, सचिव को प्रशासनिक और वित्तीय विषयों पर अपनी ऐसी शक्तियों को प्रत्यायोजित कर सकेगा, जो वह ठीक समझे ।

(7) राष्ट्रीय आयोग उप समितियों का गठन कर सकेगा और ऐसी उप समितियों को अपनी उन शक्तियों को प्रत्यायोजित कर सकेगा, जो विनिर्दिष्ट कार्यों को पूरा किए जाने हेतु उन्हें समर्थ बनाने के लिए आवश्यक हों ।

अध्याय 3

स्वायत्त बोर्ड

स्वायत्त बोर्ड ।

11. (1) केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा राष्ट्रीय आयोग के समग्र पर्यवेक्षण के अधीन, निम्नलिखित स्वायत्त बोर्डों का, इस अधिनियम के अधीन ऐसे बोर्डों को समनुदेशित कृत्यों का पालन करने के लिए गठन करेगी, अर्थात्:—

(क) परिचर्या और प्रसूति विद्या स्नातकपूर्व और स्नातकोत्तर शिक्षा बोर्ड;

(ख) परिचर्या और प्रसूति विद्या चिकित्सा मूल्यांकन और रेटिंग बोर्ड; और

(ग) परिचर्या और प्रसूति विद्या आचार और रजिस्ट्रीकरण बोर्ड ।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्रत्येक स्वायत्त बोर्ड, एक स्वायत्त निकाय होगा जो इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों का ऐसी रीति में पालन करेगा, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए ।

स्वायत्त बोर्डों की संरचना ।

12. (1) परिचर्या और प्रसूति विद्या स्नातकपूर्व और स्नातकोत्तर शिक्षा बोर्ड में अध्यक्ष से भिन्न दो से अनधिक पूर्णकालिक सदस्य तथा चार से अनधिक अंशकालिक सदस्य होंगे।

(2) परिचर्या और प्रसूति विद्या चिकित्सा मूल्यांकन और रेटिंग बोर्ड तथा परिचर्या और प्रसूति विद्या आचार और रजिस्ट्रीकरण बोर्ड में अध्यक्ष से भिन्न चार से अनधिक पूर्णकालिक सदस्य और दो से अनधिक अंशकालिक सदस्य होंगे ।

(3) प्रत्येक स्वायत्त बोर्ड का अध्यक्ष, परिचर्या और प्रसूति विद्या स्नातकपूर्व और स्नातकोत्तर शिक्षा बोर्ड के दो पूर्णकालिक सदस्य और एक अंशकालिक सदस्य तथा परिचर्या और प्रसूति विद्या चिकित्सा मूल्यांकन और रेटिंग बोर्ड तथा परिचर्या और प्रसूति विद्या नैतिक और रजिस्ट्रीकरण बोर्ड का एक पूर्णकालिक सदस्य और एक अंशकालिक सदस्य, उत्कर्ष योग्यता, साबित प्रशासनिक क्षमता और सत्यनिष्ठा वाले व्यक्ति होंगे, किसी विश्वविद्यलाय से परिचर्या और प्रसूति विद्या की किसी विद्या शाखा में स्नातकोत्तर डिग्री धारण करेंगे और पन्द्रह वर्षों से अन्यून का अनुभव रखने वाले होंगे, जिसमें से कम से कम सात वर्ष धारा 5 के अधीन गठित खोजबीन-सह-चयन समिति की सिफारिशों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किए जाने वाले परिचर्या और प्रसूति विद्या लीडर के रूप में होगा ।

(4) धारा 5 के अधीन गठित खोजबीन-सह-चयन समिति की सिफारिशों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किया जाने वाला परिचर्या और प्रसूति विद्या मूल्यांकन और रेटिंग बोर्ड का दूसरा पूर्णकालिक सदस्य उत्कर्ष योग्यता और सत्यनिष्ठा वाला होगा जो किसी विश्वविद्यालय से प्रबंध, क्वालिटी आश्वासन, विधि या विज्ञान और

प्रौद्योगिकी की किसी विद्या शाखा में स्नातकोत्तर डिग्री धारण करेगा, ऐसे क्षेत्र में 15 वर्ष से अन्यून का नैदानिक अनुभव रखने वाला होगा जिसमें इसे कम से कम सात वर्ष का अनुभव विभाग के अध्यक्ष या किसी संस्थान अथवा संगठन के अध्यक्ष के रूप में ।

(5) धारा 5 के अधीन गठित खोजबीन-सह-चयन समिति की सिफारिशों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किया जाने वाला परिचर्या और प्रसूति विद्या नैतिक और रजिस्ट्रीकरण बोर्ड का दूसरा पूर्णकालिक सदस्य उत्कर्ष योग्यता वाला होगा, जिसने परिचर्या या चिकित्सा आचार पर कार्य के लोक अभिलेख का प्रदर्शन किया है या किसी विश्वविद्यालय से क्वालिटी आश्वासन, लोक स्वास्थ्य विधि या पेटेंट वकालत या किसी विद्या शाखा में स्नातकोत्तर डिग्री धारण करते हुए उत्कृष्ट योग्यता वाला व्यक्ति हो, ऐसे क्षेत्र में 15 वर्ष से अन्यून का अनुभव रखने वाला होगा जिसमें इसे कम से कम सात वर्ष का अनुभव विभाग के अध्यक्ष या किसी संस्थान अथवा संगठन के अध्यक्ष के रूप में ।

(6) परिचर्या और प्रसूति विद्या चिकित्सा मूल्यांकन और रेटिंग बोर्ड, परिचर्या और प्रसूति विद्या आचार और रजिस्ट्रीकरण बोर्ड और परिचर्या और प्रसूति विद्या स्नातकपूर्व और स्नातकोत्तर शिक्षा बोर्ड के दो अंशकालिक सदस्य, धारा 4 के खंड (ज) के अधीन राज्य आयोगों का प्रतिनिधित्व करने वाले परिचर्या और प्रसूति विद्या सदस्यों में से ऐसी रीति में चयनित किए जाएंगे जो विहित की जाए ।

अध्यक्ष और सदस्यों की पदावधि और सेवा की शर्तें ।

13. (1) प्रत्येक स्वायत्त बोर्ड का अध्यक्ष और प्रत्येक स्वायत्त बोर्ड के पूर्णकालिक सदस्य चार वर्ष से अनधिक की अवधि के लिए पदधारण करेंगे और किसी विस्तार या पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगें :

परन्तु प्रत्येक स्वायत्त बोर्ड के अंशकालिक सदस्य दो वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे :

परंतु यह कि सदस्य के पद के लिए आवेदन करने की तारीख को सदस्य की आयु 65 वर्ष से कम होनी चहिए ।

(2) प्रत्येक स्वायत्त बोर्ड की रिक्तियां ऐसी रीति में भरी जाएंगी जो विहित की जाएं ।

(3) स्वायत्त बोर्ड के अध्यक्ष और पूर्णकालिक सदस्यों को संदेय वेतन और भत्ते तथा उनकी सेवा की अन्य निबंधन और शर्तें वे होगीं, जो विहित की जाएं ।

(4) स्वायत्त बोर्ड का प्रत्येक अंशकालिक सदस्य ऐसे भत्तों के लिए हकदार होगा, जो विहित किए जाएं ।

(5) आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा के अन्य निबंधनों और शर्तों से संबंधित धारा 6 की उपधारा (3), उपधारा (5), उपधारा (6), उपधारा (7) और उपधारा (8) और उनके पद से हटाए जाने से संबंधित धारा 7 के उपबंध यथा आवश्यक परिवर्तन सहित स्वायत्त बोर्डों के अध्यक्ष और सदस्यों को भी लागू होंगे ।

विशेषज्ञों की सलाहकार समिति ।

14. (1) परिचर्या और प्रसूति विद्या आचार और रजिस्ट्रीकरण बोर्ड के सिवाय प्रत्येक स्वायत्त बोर्ड की सहायता ऐसी सलाहकार समितियों द्वारा की जाएगी जो ऐसे स्वायत्त बोर्डों के कृत्यों के दक्ष निर्वहन के लिए आयोग द्वारा गठित की जाएं ।

(2) परिचर्या और प्रसूति विद्या आचार और रजिस्ट्रीकरण बोर्ड की सहायता विशेषज्ञों की ऐसी आचार समितियों द्वारा की जाएगी जो ऐसे बोर्ड के कृत्यों के दक्ष निर्वहन के लिए गठित की जाएं ।

स्वायत्त बोर्डों के कर्मचारिवृन्द ।

15. (1) स्वायत्त बोर्डों को, धारा 8 के अधीन नियुक्त विशेषज्ञ, परामर्शी, वृत्तिक, अधिकारी और अन्य कर्मचारी उतनी संख्या में और ऐसी रीति में जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, उपलब्ध कराए जाएंगे ।

(2) धारा 8 के अधीन राष्ट्रीय आयोग द्वारा आमंत्रित विदेशी विशेषज्ञों और डोमेन विशेषज्ञों को स्वायत्त बोर्डों को भी, ऐसी रीति में, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, उपलब्ध कराया जाएगा।

स्वायत्त बोर्डों की बैठकें, आदि ।

16. (1) प्रत्येक स्वायत्त बोर्ड मास में कम से कम एक बार ऐसे समय और ऐसे स्थान पर, जो वह नियत करे, बैठक करेगा ।

(2) स्वायत्त बोर्डों का प्रत्येक विनिश्चय उसके संबंधित अध्यक्ष और सदस्यों के बहुमत द्वारा किया जाएगा ।

(3) धारा 21 के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए ऐसा कोई व्यक्ति, जो स्वायत्त बोर्ड के किसी विनिश्चय से व्यथित है, उस विनिश्चय की संसूचना के तीस दिन के भीतर ऐसे विनिश्चय के विरुद्ध राष्ट्रीय आयोग को अपील कर सकेगा और राष्ट्रीय आयोग सुनवाई का अवसर दिए जाने के पश्चात् अपील का ऐसी अपील की तारीख से साठ दिवस की अवधि के भीतर निपटान करेगा ।

स्वायत्त बोर्डों की शक्तियां और शक्तियों का प्रत्यायोजन ।

17. (1) प्रत्येक स्वायत्त बोर्ड के अध्यक्ष को ऐसी प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियां होंगी जो उसे दक्षतापूर्ण कार्य करने के लिए ऐसे बोर्ड को समर्थ बनाने के लिए राष्ट्रीय आयोग द्वारा प्रत्यायोजित की जाए ।

(2) स्वायत्त बोर्ड का अध्यक्ष ऐसे स्वायत्त बोर्ड के किसी सदस्य या अधिकारी को अपनी शक्तियों में से किसी शक्ति का और प्रत्यायोजन कर सकेगा ।

परिचर्या और प्रसूति विद्या स्नातकपूर्व और स्नातकोत्तर शिक्षा बोर्ड की शक्तियां और कृत्य ।

18. (1) परिचर्या और प्रसूति विद्या स्नातकपूर्व और स्नातकोत्तर शिक्षा बोर्ड निम्नलिखित कृत्य करेगा, अर्थात् :—

(क) स्नातकपूर्व और स्नातकोत्तर शिक्षा के स्तर पर परिचर्या और प्रसूति विद्या शिक्षा की न्यूनतम अपेक्षाओं और मानकों को ऐसी रीति में अवधारित करना जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं और उससे संबंधित सभी पहलुओं का निरीक्षण करना;

(ख) स्नातकपूर्व और स्नातकोत्तर स्तर पर स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने, परिचर्या और प्रसूति विद्या शिक्षा प्रदान करने तथा अनुसंधान करने के लिए समुचित कौशल, ज्ञान, अभिवृत्ति, मूल्य और नैतिकता विकसित करने के दृष्टिकोण से ऐसी रीति में जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, सक्षमता आधारित गतिशील पाठ्यचर्या विकसित करना:

परन्तु अनुकूलतम स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न स्वास्थ्य देखभाल स्थापनों में सम्पूर्ण देखभाल सांतत्यक में राष्ट्रीय

स्वास्थ्य कार्यक्रम की आवश्यकताओं के साथ सक्षमताओं को संरेखित किया जाएगा;

(ग) परिचर्या और प्रसूति विद्या में स्नातकपूर्व और स्नातकोत्तर स्तर पर अर्हताएं और ऐसी अन्य विशिष्टियां विहित करना जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं;

(घ) ऐसी रीति में जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, देश की आवश्यकताओं और विश्व के मानदंडों का ध्यान रखते हुए स्नातकपूर्व और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों को प्रदान करने के लिए परिचर्या और प्रसूति विद्या संस्थाओं की स्थापना के लिए मानक विहित करना;

(ङ) ऐसी रीति में जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, स्नातकपूर्व और स्नातकोत्तर परिचर्या और प्रसूति विद्या शिक्षा प्रदान करने वाले परिचर्या और प्रसूति विद्या संस्थाओं में अवसंरचना, संकाय और शिक्षा की गुणवत्ता के लिए मानक और मानदंड अवधारित करना;

(च) अन्तर्राष्ट्रीय छात्रों के साथ-साथ शिक्षण, अनुसंधान के लिए संकाय सदस्यों का विकास और प्रशिक्षण और स्नातकपूर्व परिचर्या और प्रसूति विद्या शिक्षा से संबंधित संकाय विनिमय कार्यक्रमों को सुकर बनाना;

(छ) परिचर्या और प्रसूति विद्या संस्थाओं के कृत्यों के संबंध में जिनका संबंध सभी पणधारियों के हित से है, जिनके अन्तर्गत छात्र, संकाय, राज्य आयोग, राष्ट्रीय आयोग और केन्द्रीय सरकार भी हैं, डिजिटल रूप से या अन्यथा, उनके अनिवार्य वार्षिक प्रकटनों, क्लिनिकल सुविधाओं, संकाय के लिए मानदंड विनिर्दिष्ट करना;

(ज) रजिस्ट्रीकृत परिचर्या और प्रसूति विद्या वृतिकों के व्यवसाय के मानकों और विस्तार को विनियमित करना, जिनके अन्तर्गत परिचर्या व्यवसायी, परिचर्या सहयोगी और प्रसूति विद्या सहयोगी भी हैं जिन्होंने ऐसी रीति में जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, परिचर्या और प्रसूति विद्या स्नातकपूर्व और स्नातकोत्तर शिक्षा बोर्ड द्वारा यथा उपबंधित परिचर्या और प्रसूति विद्या अर्हता प्राप्त कर ली है ।

(झ) राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के परामर्श से परिचर्या व्यवसायियों के लिए सभी विशिष्टताओं में सीमित विहित प्राधिकारी विनियमित करना, जिन्होंने अध्यपेक्षित परिचर्या और प्रसूति विद्या अर्हता प्राप्त की है और ऐसी रीति में जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, परिचर्या और प्रसूति विद्या स्नातकपूर्व और स्नातकोत्तर शिक्षा बोर्ड द्वारा यथाउपबंधित परिचर्या और प्रसूति विद्या अर्हता प्राप्त कर ली है ।

(2) परिचर्या और प्रसूति विद्या स्नातकपूर्व और स्नातकोत्तर शिक्षा बोर्ड, अपने कर्तव्यों के निर्वहन में राष्ट्रीय आयोग को ऐसी सिफारिशें करेगा तथा उससे ऐसे निदेश प्राप्त करेगा जो वह आवश्यक समझे ।

परिचर्या और प्रसूति विद्या निर्धारण और रेटिंग बोर्ड की शक्तियां और कृत्य ।

19. (1) परिचर्या और प्रसूति विद्या निर्धारण और रेटिंग बोर्ड, निम्नलिखित कृत्य करेगा, अर्थात् :—

(क) परिचर्या और प्रसूति विद्या स्नातकपूर्व और स्नातकोत्तर शिक्षा बोर्ड और परिचर्या और प्रसूति विद्या स्नातकोत्तर शिक्षा बोर्ड द्वारा अधिकथित मानकों के अनुपालन के लिए परिचर्या और प्रसूति विद्या संस्थाओं के निर्धारण और रेटिंग की प्रक्रिया ऐसी होगी जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं;

(ख) धारा 21 के उपबंधों के अनुसार किसी नई परिचर्या और प्रसूति विद्या संस्था की स्थापना या किसी स्नातकोत्तर स्तर या उच्चतर अर्हता पाठ्यक्रम आरम्भ करने या स्थानों की संख्या बढ़ाने के लिए अनुज्ञा अनुदत्त करना;

(ग) परिचर्या और प्रसूति विद्या संस्थाओं के लिए ऐसी संस्थाओं के निर्धारण और रेटिंग हेतु निरीक्षण ऐसी रीति में करना जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं:

परन्तु परिचर्या और प्रसूति विद्या निर्धारण और रेटिंग बोर्ड, यदि वह आवश्यक समझे तो परिचर्या और प्रसूति विद्या संस्थाओं के निर्धारण और रेटिंग के लिए ऐसी संस्थाओं के निरीक्षण करने के लिए किसी अन्य निरीक्षण अभिकरण या प्रत्यायन निकाय या व्यक्तियों को भाड़े पर ले सकेगा और उन्हें प्राधिकृत कर सकेगा:

परन्तु यह और कि जहां परिचर्या और प्रसूति विद्या संस्था का निरीक्षण परिचर्या और प्रसूति विद्या निर्धारण और रेटिंग बोर्ड द्वारा प्राधिकृत ऐसे निरीक्षण अभिकरण या प्रत्यायन निकाय या व्यक्तियों द्वारा किया जाता है, तो ऐसी संस्थाओं के लिए ऐसे अभिकरण या व्यक्ति को पहुंच प्रदान करना बाध्यकारी होगा:

परन्तु यह भी कि परिचर्या और प्रसूति विद्या निर्धारण और रेटिंग बोर्ड किसी परिचर्या और प्रसूति विद्या संस्था का किसी भी समय या तो प्रत्यक्ष रूप से या परिचर्या और प्रसूति विद्या व्यवसाय में निष्ठा और अनुभव रखने वाले किसी विशेषज्ञ के माध्यम से किसी पूर्व नोटिस के बिना मूल्यांकन और निर्धारण कर सकेगा और ऐसी परिचर्या और प्रसूति विद्या संस्था का निष्पादन, मानक और निर्देश-चिन्ह निर्धारित और मूल्यांकन कर सकेगा;

(घ) सभी परिचर्या और प्रसूति विद्या संस्थाओं का उनके आरम्भ होने की ऐसी अवधि के भीतर ऐसे समय पर और ऐसी रीति में जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए का निर्धारण और रेट कर सकेगा या जहां यह आवश्यक समझा जाए स्वतंत्र रेटिंग अभिकरणों को निर्धारण और रेट करने के लिए पैनलित कर सकेगा;

(ङ) नियमित अन्तरालों पर ऐसी रीति में जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए परिचर्या और प्रसूति विद्या संस्थाओं का निर्धारण और रेटिंग अपनी वेबसाइट पर या पब्लिक डोमेन में उपलब्ध करवाएगा;

(च) परिचर्या और प्रसूति विद्या स्नातकपूर्व और स्नातकोत्तर शिक्षा बोर्ड

द्वारा ऐसी रीति में जो विनियमों द्वारा विहित की जाए, विनिर्दिष्ट न्यूनतम आवश्यक मानकों को बनाए रखने में असफलता के लिए किसी परिचर्या और प्रसूति विद्या संस्था के विरुद्ध ऐसे उपाय करेगा, जिसके अन्तर्गत चेतावनी जारी करना, धनीय शास्ति अधिरोपित करना, प्रवेशों की संख्या कम करना या उन्हें रोकना और मान्यता वापस लेने के लिए राष्ट्रीय आयोग को सिफारिश करना भी है:

परन्तु अधिरोपित धनीय शास्ति, यथास्थिति, स्नातकपूर्व पाठ्यक्रम या स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के छात्रों के एक सम्पूर्ण बैच के लिए ऐसी संस्था द्वारा प्रभारित कुल रकम, चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो, का एक बटा दस से कम और पांच गुना से अधिक नहीं होगी :

परंतु यह और कि परिचर्या और प्रसूतिविद्या निर्धारण और रेटिंग बोर्ड, परिचर्या और प्रसूतिविद्या संस्था जो परिचर्या और प्रसूतिविद्या स्नातकपूर्व और स्नातकोत्तर शिक्षा बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट न्यूनतम आवश्यक मानकों को बनाए रखने में विफल रहता है, की मान्यता वापस लेने के लिए राष्ट्रीय आयोग को सिफारिश करने से पहले परिचर्या और प्रसूतिविद्या स्नातकपूर्व और स्नातकोत्तर शिक्षा बोर्ड से परामर्श करेगा ।

(2) परिचर्या और प्रसूति विद्या निर्धारण और रेटिंग बोर्ड, अपने कृत्यों के निर्वहन में राष्ट्रीय आयोग को ऐसी सिफारिशें करेगा और उससे ऐसे निदेश प्राप्त करेगा, जो आवश्यक समझे जाएं ।

परिचर्या और प्रसूति विद्या सदाचार और रजिस्ट्रीकरण बोर्ड की शक्तियां और कृत्य ।

20. (1) परिचर्या और प्रसूति विद्या सदाचार और रजिस्ट्रीकरण बोर्ड, निम्नलिखित कृत्य करेगा, अर्थात् :—

(क) धारा 25 के उपबंधों के अनुसार सभी रजिस्ट्रीकृत वृत्तिकों के लिए राष्ट्रीय रजिस्टर रखना;

(ख) इस अधिनियम के अधीन शासित वृत्तिकों के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदनों को अनुमोदित या अस्वीकृत करना;

(ग) वृत्तिक आचार का विनियमन और परिचर्या और प्रसूति विद्या सदाचार का संवर्धन ऐसी रीति में करना जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए:

परन्तु परिचर्या और प्रसूति विद्या सदाचार और रजिस्ट्रीकरण बोर्ड उस मामले में जहां राज्य आयोग को इस अधिनियम के अधीन परिचर्या और प्रसूति विद्या वृत्तिकों द्वारा वृत्तिक या सदाचार कदाचरण के संबंध में अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के लिए शक्ति प्रदत्त की गई है, ऐसे राज्य आयोग के माध्यम से वृत्तिक और सदाचार आचरण की संहिता का अनुपालन सुनिश्चित करेगा;

(घ) परिचर्या और प्रसूति विद्या वृत्तिकों के आचरण को प्रभावी ढंग से संवर्धित और विनियमित करने के लिए राज्य आयोगों से निरन्तर संपर्क करने के लिए क्रियाविधि विकसित करना;

(ङ) धारा 24 के अधीन किसी राज्य आयोग द्वारा की गई कार्रवाईयों के संबंध में अपील अधिकारिता का प्रयोग करना; और

(च) परिवाद प्राप्त करने और शिकायत निवारण के लिए क्रियाविधि का

उपबंध करना ।

(2) परिचर्या और प्रसूति विद्या सदाचार और रजिस्ट्रीकरण बोर्ड, अपने कृत्यों के निर्वहन में राष्ट्रीय आयोग को ऐसी सिफारिशें करेगा और उससे ऐसे निदेश प्राप्त करेगा, जो आवश्यक समझे जाएं ।

नई परिचर्या या प्रसूति विद्या संस्था की स्थापना के लिए अनुज्ञा ।

21. (1) कोई भी व्यक्ति परिचर्या और प्रसूति विद्या निर्धारण और रेटिंग बोर्ड से पूर्व अनुज्ञा प्राप्त किए बिना कोई नई परिचर्या और प्रसूति विद्या संस्था की स्थापना या कोई स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम का आरम्भ या स्थानों की संख्या में वृद्धि नहीं करेगा:

परन्तु परिचर्या और प्रसूति विद्या निर्धारण और रेटिंग बोर्ड ऐसी अनुज्ञा प्रदान करने या प्रदान करने से इंकार करने के पूर्व, यथास्थिति, परिचर्या और प्रसूति विद्या स्नातकपूर्व और स्नातकोत्तर शिक्षा बोर्ड से परामर्श कर सकेगा ।

(2) उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञा प्राप्त करने के प्रयोजनों के लिए, कोई व्यक्ति परिचर्या और प्रसूति विद्या निर्धारण और रेटिंग बोर्ड को ऐसे प्ररूप में, जिसमें ऐसी विशिष्टियां अन्तर्विष्ट होंगी, ऐसी फीस संलग्न होगी, और ऐसी रीति में जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, एक प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकेगा ।

(3) परिचर्या और प्रसूति विद्या निर्धारण और रेटिंग बोर्ड धारा 22 में विनिर्दिष्ट मापदंड का सम्यक् ध्यान रखते हुए उपधारा (2) के अधीन प्राप्त प्रस्ताव पर विचार करेगा तथा ऐसी प्राप्ति की तारीख से छह मास की अवधि के भीतर ऐसे प्रस्ताव का अनुमोदन या अननुमोदन करेगा :

परन्तु ऐसे प्रस्ताव का अननुमोदन करने के पूर्व त्रुटियों को, यदि कोई हों, ठीक करने का एक अवसर संबंधित व्यक्ति को दिया जाएगा ।

(4) जहां उपधारा (3) के अधीन प्रस्ताव का अनुमोदन किया जाता है, ऐसा अनुमोदन, यथास्थिति, कोई नई परिचर्या और प्रसूति विद्या संस्था की स्थापना या कोई स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम का आरम्भ या स्थानों की संख्या में वृद्धि करने के लिए अनुज्ञा समझा जाएगा ।

(5) जहां उपधारा (3) के अधीन प्रस्ताव का अननुमोदन किया जाता है, या जहां उपधारा (2) के अधीन प्रस्ताव प्रस्तुत करने के छह मास के भीतर कोई विनिश्चय नहीं किया जाता, तो संबंधित व्यक्ति ऐसी रीति में जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, यथास्थिति, उस प्रस्ताव के अनुमोदन के लिए ऐसे अननुमोदन के पन्द्रह दिनों के भीतर या छह मास के अवसान पर राष्ट्रीय आयोग को अपील कर सकेगा ।

(6) राष्ट्रीय आयोग अपील की प्राप्ति की तारीख से पैंतालीस दिन की अवधि के भीतर उपधारा (5) के अधीन प्राप्त अपील पर विनिश्चय करेगा, ऐसा अनुमोदन उपधारा (1) के अधीन, यथास्थिति, कोई नई परिचर्या और प्रसूति विद्या संस्था की स्थापना या कोई स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम का आरम्भ या स्थानों की संख्या में वृद्धि करने के लिए अनुज्ञा होगी और राष्ट्रीय आयोग द्वारा प्रस्ताव के अननुमोदन की दशा में या विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर अपना विनिश्चय देने में असफल रहने पर, संबंधित व्यक्ति, यथास्थिति, ऐसे अननुमोदन की संसूचना के तीस दिनों के भीतर या विनिर्दिष्ट अवधि के अवसान के पश्चात् केन्द्रीय सरकार को दूसरी अपील कर सकेगा ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "व्यक्ति" पद के अन्तर्गत कोई विश्वविद्यालय, न्यास या व्यक्तियों का कोई अन्य संगम या व्यष्टिकों का निकाय है, किन्तु इसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार नहीं है ।

प्रस्ताव के अनुमोदन या अननुमोदन के लिए मापदंड ।

22. यथास्थिति, परिचर्या और प्रसूति विद्या निर्धारण और रेटिंग बोर्ड या राष्ट्रीय आयोग, धारा 21 के अधीन प्रस्ताव का अनुमोदन या अननुमोदन करते समय निम्नलिखित मापदंड पर विचार करेंगे, अर्थात्:—

(क) वित्तीय संसाधनों की पर्याप्तता;

(ख) क्या परिचर्या और प्रसूति विद्या संस्था के उचित कार्यकरण को सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त अकादमिक संकाय और अन्य आवश्यक सुविधाएं प्रदान की गई हैं या प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर प्रदान की जाएंगी;

(ग) क्या पर्याप्त चिकित्सालय सुविधाएं प्रदान की गई हैं या प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर प्रदान की जाएंगी; और

(घ) ऐसे अन्य कारक जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं :

परन्तु केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन के अधीन रहते हुए, मापदंडों को परिचर्या और प्रसूति विद्या संस्थाओं के लिए शिथिल किया जा सकेगा जिन्हें ऐसे क्षेत्रों में स्थापित किया गया है जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं ।

अध्याय 4

राज्य परिचर्या और प्रसूति विद्या आयोग

राज्य परिचर्या और प्रसूति विद्या आयोग का गठन और संरचना ।

23. (1) प्रत्येक राज्य सरकार, इस अधिनियम के आरम्भ से एक वर्ष के भीतर, अधिसूचना द्वारा, एक राज्य परिचर्या और प्रसूति विद्या आयोग का गठन करेगा, जहां उस राज्य में राज्य विधि द्वारा ऐसी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए तथा ऐसे कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए जो इस अधिनियम के अधीन अधिकथित किए जाएं, कोई ऐसा राज्य आयोग विद्यमान नहीं है ।

(2) राज्य परिचर्या और प्रसूति विद्या आयोग पूर्वोक्त नाम वाला एक शासी निकाय होगा जिसका शाश्वत् उत्तराधिकार और एक सामान्य मुद्रा होगी तथा उसे, स्थावर और जंगम दोनों, संपत्ति को अर्जित करने, धारण करने और व्ययन करने की तथा संविदा करने की शक्ति होगी और वह उस नाम से वाद लाएगा और उस पर वाद लाया जाएगा ।

(3) राज्य आयोग निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगा, अर्थात् :—

(क) राज्य सरकार द्वारा नाम-निर्दिष्ट किए जाने वाला असाधारण क्षमता, सिद्ध प्रशासनिक क्षमता और निष्ठा वाला किसी विश्वविद्यालय से परिचर्या और प्रसूति विद्या में स्नातकोत्तर डिग्री रखने वाला कोई व्यक्ति जिसे परिचर्या और प्रसूति विद्या के क्षेत्र में बीस वर्ष से अन्यून का अनुभव हो जिसमें से कम-से-कम दस वर्ष परिचर्या और प्रसूति विद्या नेता के रूप में हो–अध्यक्ष;

(ख) राज्य सरकार के स्वास्थ्य विभाग के परिचर्या का प्रतिनिधित्व करने वाला एक निदेशक या अपर निदेशक या संयुक्त निदेशक–सदस्य, पदेन :

परन्तु यदि उस राज्य में ऐसा कोई पद विद्यमान नहीं है तो परिचर्या शिक्षा और सेवाओं का भारसाधक ऐसे सदस्य के रूप में नियुक्त किया जा सकेगा;

(ग) राज्य सरकार के किसी परिचर्या या प्रसूति विद्या महाविद्यालय या संस्था से संकायाध्यक्ष या विभागाध्यक्ष की रैंक से अन्यून के दो व्यक्ति–सदस्य, पदेन;

(घ) राज्य सरकार द्वारा नाम-निर्दिष्ट किए जाने वाले दो ख्यातिप्राप्त व्यक्ति जिनमें से एक परिचर्या से और एक प्रसूति विद्या सहयोग से हो और ऐसी अर्हता और अनुभव रखते हों जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाएं–सदस्य;

(ङ) राज्य सरकार द्वारा नाम-निर्दिष्ट किए जाने वाले दो ख्यातिप्राप्त व्यक्ति जिनमें से एक परिचर्या से और एक प्रसूति विद्या व्यवसाय से हो और ऐसी अर्हता और अनुभव रखते हों जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाएं–सदस्य;

(च) राज्य सरकार द्वारा नाम-निर्दिष्ट किए जाने वाले दो व्यक्ति जो परिचर्या और प्रसूति विद्या के संबंध में शिक्षा या सेवाओं में लगी हुई पूर्त संस्थाओं का प्रतिनिधित्व करते हों और ऐसी अर्हता और अनुभव रखते हों जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाएं–सदस्य ।

(4) उपधारा (3) के खंड (क), (ख), (ङ) और (च) में निर्दिष्ट राज्य आयोग के अध्यक्ष और सदस्य, उस तारीख से जिसको वे अपना पद ग्रहण करते हैं चार वर्ष से अनधिक की अवधि के लिए, जैसा कि राज्य सरकार इस निमित अधिसूचित करे, पद धारण करेंगे, और किसी भी विस्तार या पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे ।

राज्य आयोग के कृत्य ।

24. (1) राज्य आयोग ऐसे सभी उपाय करेगा जो इस अधिनियम के अधीन शिक्षा के समन्वित और एकीकृत विकास और सेवाओं के परिदान के मानकों को बनाए रखना सुनिश्चित करने के लिए ठीक समझे ।

(2) राज्य आयोग, इसके कृत्यों के निर्वहन के प्रयोजनों के लिए,—

(क) परिचर्या और प्रसूति विद्या वृत्तिकों द्वारा पालन किए जाने वाले वृत्तिक आचरण, सदाचार संहिता और शिष्टाचार का प्रर्वतन कर सकेगा जिसके अन्तर्गत राज्य में सहयोगी भी हैं तथा अनुशासनात्मक कार्रवाई कर सकेगा जिसके अन्तर्गत राज्य रजिस्ट्रर से वृत्तिकों के नाम को हटाना भी है;

(ख) शिक्षा, पाठ्यक्रम, पाठ्यचर्या, भौतिक और निर्देशात्मक सुविधाएं, कर्मचारीवृंद पैटर्न, कर्मचारीवृंद अर्हताएं, गुणवत्ता निर्देश निर्धारण, परीक्षा, प्रशिक्षण, अनुसंधान, स्वशासी बोर्डों द्वारा यथाउपबंधित सतत् वृत्तिक शिक्षा के मानक सुनिश्चित करना;

(ग) रजिस्ट्रीकृत वृत्तिकों के लिए राज्य रजिस्टर रखना;

(घ) उन व्यक्तियों को जो परिचर्या और प्रसूति विद्या व्यवसाय करते हैं, विशेषज्ञता का प्रमाणन या अन्य प्ररूपों के प्रमाणन जारी करना;

(ङ) इस अधिनियम के अधीन विनियमित परिचर्या सहायक और प्रसूति विद्या सहायक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए सामान्य काउंसलिंग संचालित करना;

(च) राज्य रजिस्टर में नामांकन से पहले परिचर्या और प्रसूति विद्या सहायकों की पर्याप्त सक्षमता सुनिश्चित करने के लिए कौशल आधारित परीक्षा के लिए उपबंध करना;

(छ) राष्ट्रीय आयोग द्वारा जारी किए गए सभी निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करना;

(ज) मुद्दों को पहचानने और उन्हें हल करने के लिए प्रत्येक तिमाही में कम से कम एक बार राज्य में सभी परिचर्या महाविद्यालयों और परिचर्या विद्यालयों के प्राचार्यों से मिलना; और

(झ) ऐसे अन्य कृत्य करना जो इसे राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन या राष्ट्रीय आयोग द्वारा न्यस्त किए जाएं या इस अधिनियम के उपबंधों के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक हों ।

(3) जहां राज्य अधिनियम राज्य आयोग को किसी रजिस्ट्रीकृत वृत्तिक द्वारा किसी वृत्तिक या सदाचार संबंधी कदाचरण के संबंध में अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के लिए शक्ति प्रदत्त करता है तो राज्य आयोग ऐसी रीति में कार्य करेगा जो इस अधिनियम के अधीन विरचित किए गए विनियमों और मार्गदर्शी सिद्दांतों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए:

परन्तु किसी राज्य में राज्य आयोग का गठन किए जाने तक, परिचर्या और प्रसूति विद्या सदाचार और रजिस्ट्रीकरण बोर्ड उस राज्य में किसी रजिस्ट्रीकृत वृत्तिक के विरुद्ध किसी वृत्तिक या सदाचार संबंधी कदाचरण के संबंध में ऐसी प्रक्रिया के अनुसार जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, परिवाद और शिकायतें प्राप्त करेगा:

परन्तु यह और की यथास्थिति, परिचर्या और प्रसूति विद्या सदाचार और रजिस्ट्रीकरण बोर्ड या राज्य आयोग कोई कार्रवाई करने के पूर्व संबंधित रजिस्ट्रीकृत वृत्तिक को सुनवाई का एक अवसर प्रदान करेगा, जिसके अन्तर्गत ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध कोई धनीय शास्ति अधिरोपित करना भी है ।

(4) कोई रजिस्ट्रीकृत वृत्तिक या कोई व्यक्ति, जो उपधारा 3 के अधीन राज्य आयोग द्वारा की गई किसी कार्रवाई से व्यथित है, तीस दिनों के भीतर ऐसी कार्यवाही के विरुद्ध परिचर्या और प्रसूति विद्या सदाचार और रजिस्ट्रीकरण बोर्ड को साठ दिन की अवधि के भीतर अपील कर सकेगा, और परिचर्या और प्रसूति विद्या सदाचार और रजिस्ट्रीकरण बोर्ड साठ दिन की अवधि के भीतर अपील का विनिश्चय करेगा और परिचर्या और प्रसूति विद्या सदाचार और रजिस्ट्रीकरण बोर्ड का विनिश्चिय राज्य आयोग पर बाध्यकारी होगा, यदि उपधारा (5) के अधीन दूसरी अपील नहीं की जाती ।

(5) कोई रजिस्ट्रीकृत वृत्तिक या कोई व्यक्ति, जो परिचर्या और प्रसूति विद्या सदाचार और रजिस्ट्रीकरण बोर्ड के विनिश्चय से व्यथित है, ऐसे विनिश्चय की संसूचना की प्राप्ति के साठ दिन के अवधि के भीतर राष्ट्रीय आयोग को दूसरी अपील कर सकेगा तथा राष्ट्रीय आयोग ऐसी अपील की तारीख से नब्बे दिनों की अवधि के भीतर अपील का निपटारा करेगा ।

स्पष्टीकरण—इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए—

(क) "वृत्तिक या सदाचार संबंधी कदाचार" पद के अन्तर्गत कार्य या लोप का कोई कृत्य है जैसा विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए;

(ख) "राज्य" पद के अन्तर्गत संघ राज्यक्षेत्र है और किसी संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में "राज्य सरकार" और "राज्य परिचर्या और प्रसूति विद्या आयोग" पद से क्रमशः "केन्द्रीय सरकार" और "संघ राज्यक्षेत्र परिचर्या और प्रसूति विद्या आयोग अभिप्रेत होंगे ।"

अध्याय 5

रजिस्ट्रीकरण

राष्ट्रीय रजिस्टर और राज्य रजिस्टर ।

25. (1) परिचर्या और प्रसूति विद्या सदाचार और रजिस्ट्रीकरण बोर्ड, परिचर्या वृत्तिक, प्रसूति विद्या वृत्तिक, परिचर्या सहायक, प्रसूति विद्या सहायक के नाम, पते, उनके द्वारा धारित सभी मान्यताप्राप्त अर्हताएं और ऐसी अन्य विशिष्टियां जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं, अन्तर्विष्ट करने वाला एक आनलाइन और लाईब, परिचर्या और प्रसूति विद्या रजिस्टर रखेगा ।

(2) परिचर्या और प्रसूति विद्या सदाचार और रजिस्ट्रीकरण बोर्ड, राष्ट्रीय रजिस्टर ऐसे प्ररूप में, जिसके अन्तर्गत डिजिटल प्ररूप भी है, और ऐसी रीति में रखेगा जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए ।

(3) वह रीति जिसमें राष्ट्रीय रजिस्टर में कोई नाम या अर्हता जोड़ी जा सकेगी या हटाई जा सकेगी तथा उसमें जोड़ने या हटाने के आधार ऐसे होंगे जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं ।

1872 का 1

(4) राष्ट्रीय रजिस्टर भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 74 के अर्थान्तर्गत एक लोक दस्तावेज होगा ।

(5) परिचर्या और प्रसूति विद्या सदाचार और रजिस्ट्रीकरण बोर्ड, राष्ट्रीय रजिस्टर को जनसाधारण को ऐसी रीति और प्ररूप में जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाए, परिचर्या और प्रसूति विद्या सदाचार और रजिस्ट्रीकरण बोर्ड की बेवसाइट पर रखकर पहुंच योग्य डिजिटल पोर्टल के रूप में उपलब्ध करवाया जाएगा ।

(6) प्रत्येक राज्य आयोग परिचर्या वृत्तिकों और प्रसूति विद्या वृत्तिकों के लिए राज्य रजिस्टर तथा परिचर्या सहायकों और प्रसूति विद्या सहायकों के लिए विनिर्दिष्ट डिजिटल रूपविधान में राज्य रजिस्टर रखेगा और उसे नियमित रूप से डिजिटल प्ररूप में अद्यतन करेगा और इस अधिनियम के प्रारम्भ से तीन मास के भीतर इसकी एक भौतिक प्रति परिचर्या और प्रसूति विद्या सदाचार और रजिस्ट्रीकरण बोर्ड को प्रदाय करेगा ।

(7) परिचर्या और प्रसूति विद्या सदाचार और रजिस्ट्रीकरण बोर्ड ऐसी रीति में कि एक रजिस्टर में कोई परिवर्तन दूसरे रजिस्टर में स्वतः ही परिलक्षित हो, राष्ट्रीय रजिस्टर और राज्य रजिस्टरों का इलैक्ट्रानिक संक्रमण सुनिश्चित करेगा ।

परिचर्या और प्रसूति विद्या वृतिकों के लिए राष्ट्रीय रजिस्टर या राज्य रजिस्टर में व्यवसाय करने की अनुज्ञप्ति और नामांकन के लिए व्यक्तियों के अधिकार तथा उसके संबंध में उनकी बाध्यताएं ।

26. (1) कोई व्यक्ति जो मान्यताप्राप्त परिचर्या और प्रसूति विद्या अर्हता रखता है, यथास्थिति, राष्ट्रीय रजिस्टर या राज्य रजिस्टर में परिचर्या और प्रसूति विद्या वृत्तिकों के लिए स्वयं का नाम और अर्हताएं नामांकित करवाएगा और उसे वृति का व्यवसाय करने के लिए ऐसी रीति में और ऐसी प्रक्रियां का अनुसरण करते हुए, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, अनुज्ञप्ति अनुदत्त की जाएगी :

परन्तु कोई व्यक्ति जिसे इस अधिनियम के प्रवृत्त होने के पूर्व भारतीय नर्स परिषद् अधिनियम, 1947 के अधीन रखे गए नर्सों के रजिस्टर में रजिस्ट्रीकृत किया गया है, इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत किया गया समझा जाएगा और परिचर्या और प्रसूति विद्या वृतिकों के लिए इस अधिनियम के अधीन रखे गए, यथास्थिति, राष्ट्रीय रजिस्टर या राज्य रजिस्टर में नामांकित किया जाएगा । 1947 का 48

(2) कोई भारतीय नागरिक, जिसने भारत से बाहर किसी देश में स्थापित किसी परिचर्या और प्रसूति विद्या संस्था से धारा 29 या धारा 32 के अधीन मान्यताप्राप्त परिचर्या और प्रसूति विद्या अर्हता प्राप्त की है, इस अधिनियम के अधीन ऐसी रीति में जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, रजिस्ट्रीकरण के लिए हकदार होगा ।

(3) जब कोई व्यक्ति, जिसका नाम यथास्थिति, राष्ट्रीय रजिस्टर या राज्य रजिस्टर में प्रविष्ट किया जाता है, परिचर्या विज्ञानों या लोक स्वास्थ्य परिचर्या में दक्षता के लिए कोई उपाधि, डिप्लोमा या अन्य अर्हता प्राप्त करता है जो, यथास्थिति, धारा 28 या धारा 29 के अधीन मान्यताप्राप्त परिचर्या और प्रसूति विद्या अर्हता है, वह ऐसी रीति में जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, यथास्थिति, राष्ट्रीय रजिस्टर या उसी राज्य रजिस्टर में अपने नाम के सामने ऐसा उपाधि, डिप्लोमा या अर्हता प्रविष्ट करवाने का हकदार होगा ।

(4) इस धारा के अधीन अनुदत्त रजिस्ट्रकरण और अनुज्ञप्ति ऐसी रीति में जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं नवीनीकृत की जाएगी ।

व्यवसाय करने पर रोक ।

27. (1) राष्ट्रीय रजिस्टर या राज्य रजिस्टरों में नामांकित व्यक्ति से भिन्न कोई व्यक्ति—

(क) अर्हक परिचर्या या प्रसूति विद्या वृतिक या परिचर्या या प्रसूति विद्या सहायक के रूप में परिचर्या या प्रसूति विद्या का व्यवसाय करने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा;

(ख) भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 42 के अधीन परिचर्या और प्रसूति विद्या से संबंधित किसी विषय पर विशेषज्ञ के रूप में किसी मृत्यु-समीक्षा या न्यायालय में कोई साक्ष्य देने का हकदार नहीं होगा : 1872 का 1

परन्तु कोई विदेशी नागरिक जो उस देश में परिचर्या और प्रसूति विद्या वृतिक के रजिस्ट्रीकरण को विनियमित करने वाली विधि के अनुसार अपने देश में परिचर्या और प्रसूति विद्या वृतिक के रूप में नामांकित है, भारत में ऐसी अवधि के लिए और ऐसी रीति में जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, अस्थायी

रजिस्ट्रीकरण के लिए अनुज्ञात किया जा सकेगा ।

(2) कोई व्यक्ति जो इस धारा के किन्हीं उपबंधों का उल्लंघन करता है, ऐसी अवधि के कारावास से जो एक वर्ष तक का हो सकेगा या जुर्माने से जो पांच लाख रुपए तक हो सकेगा, या दोनों से दंडित किया जाएगा ।

अध्याय 6

परिचर्या और प्रसूति विद्या अर्हताओं की मान्यता

भारत में विश्वविद्यालयों या परिचर्या और प्रसूति विद्या संस्थाओं द्वारा अनुदत्त परिचर्या और प्रसूति विद्या अर्हताओं की मान्यता ।

28. (1) भारत में विश्वविद्यालों या परिचर्या संस्था द्वारा अनुदत्त प्रत्येक परिचर्या और प्रसूति विद्या अर्हता, ऐसी रीति में जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, परिचर्या और प्रसूति विद्या स्नातकपूर्व और स्नातकोत्तर शिक्षा बोर्ड द्वारा सूचीबद्ध और अनुरक्षित की जाएगी, और ऐसी परिचर्या और प्रसूति विद्या अर्हता इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए एक मान्यताप्राप्त परिचर्या और प्रसूति विद्या अर्हता होगी ।

(2) यथास्थिति, परिचर्या और प्रसूति विद्या स्नातकपूर्व और स्नातकोत्तर शिक्षा बोर्ड द्वारा अनुरक्षित सूची में सम्मिलित नहीं की गई प्रत्येक विश्वविद्यालय या परिचर्या और प्रसूति विद्या संस्था जो परिचर्या या प्रसूति विद्या अर्हता के लिए कोई पाठ्यक्रम संचालित करती है, ऐसी अर्हता को मान्यता अनुदत्त करने के लिए बोर्ड में आवेदन कर सकेगी ।

(3) परिचर्या और प्रसूति विद्या स्नातकपूर्व और स्नातकोत्तर शिक्षा बोर्ड, ऐसी रीति में जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, छह मास की अवधि के भीतर परिचर्या और प्रसूति विद्या अर्हता की सभी विशेषज्ञताओं में किसी स्नातकपूर्व या स्नातकोत्तर या विशेषज्ञता या नैदानिक नर्स विशेषज्ञता या नर्स व्यवसायी पाठ्यक्रम को मान्यता अनुदत्त करने के लिए आवेदन का परीक्षण करेगा ।

(4) जहां, परिचर्या और प्रसूति विद्या स्नातकपूर्व और स्नातकोत्तर शिक्षा बोर्ड, परिचर्या और प्रसूति विद्या अर्हता को मान्यता अनुदत्त करने का विनिश्चय करता है, तो वह उसके द्वारा अनुरक्षित सूची में ऐसी अर्हता को सम्मिलित करेगा तथा ऐसी मान्यता की प्रभावी तारीख भी विनिर्दिष्ट करेगा ।

(5) उपधारा (3) के अधीन विनिश्चय द्वारा व्यथित कोई संस्था या विश्वविद्यालय, ऐसे विनिश्चय की संसूचना से साठ दिनों के भीतर राष्ट्रीय आयोग को अपील करेगा तथा राष्ट्रीय आयोग ऐसी अपील फाइल करने की तारीख से साठ दिनों की अवधि के भीतर, सुनवाई का एक अवसर देने के पश्चात् ऐसे आदेश पारित करेगा जो वह ठीक समझे ।

(6) जहां राष्ट्रीय आयोग परिचर्या और प्रसूति विद्या अर्हता को मान्यता अनुदत्त नहीं करने का विनिश्चय करता है या विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर विनिश्चय करने में असफल रहता है, तो संबंधित विश्वविद्यालय या परिचर्या और प्रसूति विद्या संस्था, यथास्थिति, ऐसे विनिश्चय की संसूचना के तीस दिनों की अवधि के भीतर या विनिर्दिष्ट अवधि के अवसान के पश्चात् केन्द्रीय सरकार को दूसरी अपील कर सकेगी ।

(7) सभी परिचर्या और प्रसूति विद्या अर्हताएं जिन्हें इस अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख के पूर्व मान्यता प्रदान की गई है और भारतीय नर्स परिषद् अधिनियम, 1947 की अनुसूची के भाग 1 और भाग 2 में सम्मिलित किया गया है, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए भी मान्यताप्राप्त परिचर्या और प्रसूति विद्या अर्हताएं होंगी तथा ऐसी रीति में जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, परिचर्या और प्रसूति विद्या स्नातकपूर्व और स्नातकोत्तर शिक्षा बोर्ड द्वारा सूचीबद्ध और अनुरक्षित की जाएंगी । 1947 का 48

(8) यदि किसी राज्य के भीतर राज्य आयोग या किसी स्वशासी निकाय, यदि कोई हो, के परामर्श से राज्य सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त कोई प्राधिकारी, किसी अर्हता को अनुदत्त करने के प्रयोजन के लिए, अर्हता अनुदत्त करता है जो राष्ट्रीय आयोग द्वारा मान्यताप्राप्त नहीं हैं, तो ऐसा प्राधिकारी राष्ट्रीय आयोग में ऐसी अर्हता को मान्यताप्राप्त करवाने के लिए आवेदन कर सकेगा तथा राष्ट्रीय आयोग यह घोषित कर सकेगा कि ऐसी अर्हता, या केवल ऐसी अर्हता जब विनिर्दिष्ट तारीख के पश्चात् अनुदत्त की जाए तो इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए मान्यताप्राप्त अर्हता होगी ।

(9) प्रत्येक राज्य सरकार, ग्रामीण क्षेत्रों में लोक स्वास्थ्य परिचर्या और प्रसूति विद्या व्यवसाय को करने या उसके संवर्धन के प्रयोजनों के लिए, परिचर्या और प्रसूति विद्या वृत्तिकों की क्षमता को बढ़ाने के लिए आवश्यक उपाय करेगी ।

भारत से बाहर परिचर्या और प्रसूति विद्या संस्थाओं द्वारा अनुदत्त परिचर्या और प्रसूति विद्या अर्हताओं की मान्यता ।

29. (1) जहां भारत से बाहर किसी देश में कोई प्राधिकारी, जिसे उस राज्य में परिचर्या और प्रसूति विद्या अर्हताओं की मान्यता से न्यस्त किया गया है, भारत में ऐसी परिचर्या और प्रसूति विद्या अर्हता को मान्यता अनुदत्त करने के लिए राष्ट्रीय आयोग में आवेदन करता है तो राष्ट्रीय आयोग, ऐसे सत्यापन के अधीन रहते हुए जो वह आवश्यक समझे, उस परिचर्या और प्रसूति विद्या अर्हता को या तो मान्यता प्रदान करेगा या इनकार करेगा :

परन्तु राष्ट्रीय आयोग ऐसी मान्यता अनुदत्त करने से इनकार करने के पूर्व ऐसे प्राधिकारी को सुने जाने का एक युक्तियुक्त अवसर प्रदान करेगा ।

(2) वह परिचर्या और प्रसूति विद्या अर्हता जिसे उपधारा (1) के अधीन राष्ट्रीय आयोग द्वारा मान्यता अनुदत्त की जाती है, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए मान्यताप्राप्त परिचर्या और प्रसूति विद्या अर्हता होगी, और ऐसी अर्हता तथा ऐसी रीति में जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, राष्ट्रीय आयोग द्वारा सूचीबद्ध और अनुरक्षित की जाएगी :

परन्तु ऐसी अर्हता रखने वाले व्यक्ति द्वारा व्यवसाय ऐसी रीति में जो विनियमों द्वारा विहित की जाए, अनुज्ञात किया जाएगा ।

(3) जहां उपधारा (1) के अधीन राष्ट्रीय आयोग परिचर्या और प्रसूति विद्या अर्हता को मान्यता अनुदत्त करने से इनकार करता है तो संबंधित प्राधिकारी केन्द्रीय सरकार को उसकी संसूचना के तीस दिनों की अवधि के भीतर ऐसे विनिश्चय के विरुद्ध अपील कर सकेगा और केन्द्रीय सरकार ऐसी अपील की तारीख से नब्बे दिनों की अवधि के भीतर अपील का निपटारा करेगी ।

(4) दो देशों के बीच परिचर्या और प्रसूति विद्या वृत्तिकों के पारस्परिक रजिस्ट्रीकरण के लिए अर्हताओं की आपसी मान्यता ऐसी रीति की जाएगी में जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए ।

भारत में कानूनी या अन्य निकाय द्वारा अनुदत्त परिचर्या और प्रसूति विद्या अर्हताओं की मान्यता ।

30. (1) इस अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व भारत में कानूनी या अन्य निकाय द्वारा अनुदत्त परिचर्या और प्रसूति विद्या अर्हताओं को इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए ऐसी रीति में जो राष्ट्रीय आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, परिचर्या और प्रसूति विद्या अर्हताओं के रूप में मान्यता दी जाएगी ।

(2) केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय आयोग की सिफारिश पर तथा इस अधिनियम के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए, अधिसूचना द्वारा, यथास्थिति, भारत में किसी कानूनी या अन्य निकाय द्वारा अनुदत्त परिचर्या और प्रसूति विद्या अर्हताओं के किसी प्रवर्ग को जोड़ सकेगी या उसका लोप कर सकेगी और यथास्थिति ऐसे जोडने या लोप करने पर भारत में ऐसे कानूनी या अन्य निकाय द्वारा अनुदत्त परिचर्या और प्रसूति विद्या अर्हताएं इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए मान्यताप्राप्त परिचर्या और प्रसूति विद्या अर्हताएं नहीं बनी रहेगी ।

भारत में परिचर्या और प्रसूति विद्या संस्थाओं द्वारा अनुदत्त परिचर्या और प्रसूति विद्या अर्हता को अनुदत्त मान्यता वापस लेना ।

31. (1) जहां धारा 20 के अधीन परिचर्या और प्रसूति विद्या निर्धारण और रेटिंग बोर्ड से या राज्य आयोग से या राज्य सरकार से या अन्यथा सिफारिशों या रिपोर्ट की प्राप्ति पर, यदि राष्ट्रीय आयोग की यह राय है कि—

(क) किसी विश्वविद्यालय या परिचर्या और प्रसूति विद्या संस्था के अध्ययन के पाठ्यक्रम और की गई परीक्षा तथा उसके द्वारा आयोजित किसी परीक्षा में अभ्यर्थियों से अपेक्षित दक्षता, परिचर्या और प्रसूति विद्या स्नातकपूर्व शिक्षा बोर्ड या परिचर्या और प्रसूति विद्या स्नातकोत्तर शिक्षा बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट मानकों के अनुरूप नहीं हैं; या

(ख) परिचर्या और प्रसूति विद्या स्नातकपूर्व शिक्षा बोर्ड या परिचर्या और प्रसूति विद्या स्नातकोत्तर शिक्षा बोर्ड द्वारा यथाअवधारित अवसंरचना के मानक और मानदंड, परिचर्या और प्रसूति विद्या संस्था में संकाय और शिक्षा की गुणवत्ता का पालन किसी विश्वविद्यालय या परिचर्या और प्रसूति विद्या संस्था द्वारा नहीं किया जाता और ऐसा विश्वविद्यालय या परिचर्या और प्रसूति विद्या संस्था विनिर्दिष्ट न्यूनतम मानकों को बनाए रखने के लिए आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई करने में असफल रहा है,

तो राष्ट्रीय आयोग उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार कार्रवाई आरम्भ कर सकेगा ।

(2) राष्ट्रीय आयोग, ऐसी और जांच करने के पश्चात्, जिसे वह ठीक समझे, और संबंधित राज्य सरकार तथा संबंधित विश्वविद्यालय, परिचर्या और प्रसूति विद्या संस्था के प्राधिकारी के साथ परामर्श करने के पश्चात्, इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि परिचर्या और प्रसूति विद्या अर्हता को प्रदान की गई मान्यता को वापस लिया जाना चाहिए, तो वह आदेश द्वारा, ऐसी अर्हता को प्रदान की गई मान्यता को वापस ले सकेगा और परिचर्या और प्रसूति विद्या स्नातकपूर्व और स्नातकोत्तर शिक्षा बोर्ड को निदेश दे सकेगा कि वह उस बोर्ड द्वारा अनुरक्षित सूची में संबद्ध विश्वविद्यालय या परिचर्या और प्रसूति विद्या संस्था के संबंध में इस आशय के लिए प्रविष्टियों का संशोधन करे कि

ऐसी परिचर्या और प्रसूति विद्या को प्रदान की गई मान्यता इस आदेश में विनिर्दिष्ट तारीख से वापस ली जाती है ।

कतिपय दशाओं में परिचर्या और प्रसूति विद्या अर्हताओं की मान्यता के लिए विशेष उपबंध ।

32. जहां राष्ट्रीय आयोग ऐसा करना आवश्यक समझता है, वहां वह, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, यह निदेश दे सकेगा कि भारत से बाहर किसी देश में किसी परिचर्या और प्रसूति विद्या संस्था द्वारा प्रदान की गई कोई परिचर्या और प्रसूति विद्या अर्हता, ऐसी तारीख के पश्चात्, जिसे उस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए मान्यताप्राप्त परिचर्या और प्रसूति विद्या अर्हता होगी :

परंतु ऐसी मान्यता प्रदान करने से पूर्व, पाठ्यचर्या, व्यवहारिक प्रशिक्षण और पाठ्यक्रम के वर्षों की संख्या के निबंधनानुसार समतुल्यता की समीक्षा, ऐसी रीति मे की जाएगी, जो नियमों द्वारा विहित की जाए :

परंतु यह और कि ऐसी अर्हता रखने वाले किसी व्यक्ति द्वारा व्यवसाय ऐसी रीति में अनुज्ञात किया जाएगा, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए ।

भारत से बाहर परिचर्या और प्रसूति विद्या संस्थाओं द्वारा प्रदान की गई परिचर्या और प्रसूति विद्या अर्हताओं की मान्यता वापस लेना ।

33. जहां, भारत से बाहर किसी देश के प्राधिकारी से सत्यापन के पश्चात्, राष्ट्रीय आयोग की यह राय है कि मान्यताप्राप्त परिचर्या और प्रसूति विद्या चिकित्सा अर्हता, जिसे उसके द्वारा अनुरक्षित सूची में सम्मिलित किया गया है, की मान्यता को वापस लिया जाना है, वहां वह, आदेश द्वारा, ऐसी परिचर्या और प्रसूति विद्या अर्हता की मान्यता को वापस ले सकेगा और उसे, ऐसे आदेश की तारीख से, राष्ट्रीय आयोग द्वारा अनुरक्षित सूची से हटा सकेगा ।

अध्याय 7

परिचर्या और प्रसूति विद्या सलाहकार परिषद्

परिचर्या और प्रसूति विद्या सलाहकार परिषद् ।

34. (1) केन्द्रीय सरकार, परिचर्या और प्रसूति विद्या सलाहकार परिषद् नामक सलाहकार निकाय का गठन करेगी ।

(2) परिचर्या और प्रसूति विद्या सलाहकार परिषद् (जिसे इस अध्याय में इसके पश्चात् सलाहकार परिषद् कहा गया है) अध्यक्ष और निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगी, अर्थात् :—

(क) राष्ट्रीय आयोग का अध्यक्ष, सलाहकार परिषद् का पदेन अध्यक्ष होगा ;

(ख) आयुष मंत्रालय का प्रतिनिधित्व करने वाला एक अधिकारी, जो संयुक्त सचिव से नीचे की पंक्ति का न हो–सदस्य, पदेन ;

(ग) तीन स्वायत्त बोर्डों के अध्यक्ष–सदस्य, पदेन ;

(घ) राष्ट्रीय आयोग का सचिव–सदस्य, पदेन ;

(ङ) प्रत्येक राज्य और प्रत्येक संघ राज्यक्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाला एक सदस्य, जो, यथास्थिति, उस राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में परिचर्या और प्रसूति

विद्या संस्था का संकायाध्यक्ष (परिचर्या) या प्रधानाचार्य होगा या उस राज्य सरकार द्वारा या संघ राज्यक्षेत्र की दशा में गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट किए जाने वाला राज्य परिचर्या और प्रसूति विद्या आयोग का प्रतिनिधि होगा–सदस्य ;

(च) अध्यक्ष, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग–सदस्य, पदेन ;

(छ) निदेशक, राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद्–सदस्य, पदेन ;

(ज) भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् से एक प्रतिनिधि, जो अपर महानिदेशक की पंक्ति से नीचे का न हो–सदस्य, पदेन ;

(झ) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, भारतीय प्रबंध संस्थान और भारतीय विज्ञान संस्थान में से हर एक का प्रतिनिधित्व करने वाले तीन निदेशक, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाएं–सदस्य, पदेन ;

(ञ) राष्ट्रीय स्तर की किन्हीं तीन वृत्तिक परिचर्या और प्रसूति विद्या संगमों के प्रधान, जिनको सलाहकार परिषद् के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाए, जिससे मुख्य पणधारी सदस्यों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिल सके ।

(3) उपधारा (2) के खंड (ङ) और (ञ) के अधीन नामनिर्दिष्ट सदस्य, उस तारीख से जिसको वे अपना पद ग्रहण करते हैं चार वर्ष से अनधिक की अवधि के लिए, जैसा कि केंद्रीय सरकार इस निमित अधिसूचित करे, पद धारण करेंगे ।

परिचर्या और प्रसूति विद्या सलाहकार परिषद् के कृत्य ।

35. (1) सलाहकार परिषद् ऐसा प्राथमिक मंच होगा, जिसके माध्यम से राज्य और संघ राज्यक्षेत्र, राष्ट्रीय आयोग के समक्ष अपने विचार तथा मामले रख सकेंगे और परिचर्या और प्रसूति विद्या शिक्षा, सेवा, प्रशिक्षण और अनुसंधान से संबंधित समग्र कार्यसूची, नीति और कार्रवाई को तैयार करने में सहायक हो सकेंगे ।

(2) सलाहकार परिषद्, परिचर्या और प्रसूति विद्या शिक्षा, सेवा, प्रशिक्षण और अनुसंधान से संबंधित सभी विषयों में न्यूनतम मानकों का अवधारण करने के लिए तथा उनके अनुरक्षण का समन्वय करने के लिए उपायों के संबंध में राष्ट्रीय आयोग को सलाह देगी ।

(3) सलाहकार परिषद्, परिचर्या और प्रसूति विद्या शिक्षा, सेवा, प्रशिक्षण और अनुसंधान साम्यापूर्ण पहुंच को बढ़ाने वाले उपायों पर राष्ट्रीय आयोग को सलाह देगी ।

परिचर्या और प्रसूति विद्या सलाहकार परिषद् की बैठकें ।

36. (1) सलाहकार परिषद्, वर्ष में कम से कम एक बार ऐसे समय तथा स्थान पर बैठक करेगी, जिसका विनिश्चय उसके अध्यक्ष द्वारा किया जाए ।

(2) सलाहकार परिषद् का अध्यक्ष, सलाहकार परिषद् की बैठक की अध्यक्षता करेगा और यदि अध्यक्ष, किसी कारण से सलाहकार परिषद् की किसी बैठक में उपस्थित होने में असमर्थ है तो ऐसा अन्य सदस्य, जिसे अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाए, बैठक की अध्यक्षता करेगा ।

(3) जब तक प्रक्रिया में विनियमों द्वारा अन्यथा उपबंध न किया गया हो, तब तक गणपूर्ति, अध्यक्ष सहित सलाहकार परिषद् के दो-तिहाई सदस्यों से होगी और सलाहकार परिषद् के सभी कार्य उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत

द्वारा विनिश्चित किए जाएंगे ।

(4) धारा 34 की उपधारा (2) के खंड (ङ) और खंड (ञ) के अधीन नामनिर्देशित सदस्य चार वर्ष से अनधिक की अवधि के लिए पद धारण करेंगे, जो केंद्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त अधिसूचित की जाए ।

अध्याय 8

अनुदान, संपरीक्षा और लेखा

केंद्रीय सरकार द्वारा अनुदान ।

37. केंद्रीय सरकार, संसद् द्वारा, विधि द्वारा इस निमित्त किए गए सम्यक् विनियोग के पश्चात्, राष्ट्रीय आयोग को ऐसी धनराशि का अनुदान कर सकेगी, जो केंद्रीय सरकार ठीक समझे ।

राष्ट्रीय परिचर्या और प्रसूति विद्या आयोग निधि ।

38. (1) राष्ट्रीय परिचर्या और प्रसूति विद्या आयोग निधि नामक एक निधि का गठन किया जाएगा, जो भारत के लोक लेखा का भाग होगी और उसमें निम्नलिखित जमा किया जाएगा,—

(क) राष्ट्रीय आयोग और स्वायत्त बोर्डों द्वारा प्राप्त सभी फीस, शास्तियां और प्रभार ;

(ख) राष्ट्रीय आयोग द्वारा ऐसे अन्य स्रोतों से, जो उसके द्वारा विनिश्चित किए जाएं, प्राप्त सभी धनराशियां ।

(2) इस निधि को निम्नलिखित के मद्दे संदाय करने के लिए उपयोजित किया जाएगा,—

(क) राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष, सचिव और सदस्यों, स्वायत्त बोर्डों के अध्यक्षों और सदस्यों को संदेय वेतन और भत्ते तथा प्रशासनिक व्यय, जिनके अंतर्गत राष्ट्रीय आयोग तथा स्वायत्त बोर्डों के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को संदेय वेतन और भत्ते भी हैं ;

(ख) इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए उपगत व्यय, जिनके अंर्तगत राष्ट्रीय आयोग तथा स्वायत्त बोर्डों के कृत्यों के निर्वहन से जुड़े व्यय भी हैं ।

संपरीक्षा और लेखा ।

39. (1) राष्ट्रीय आयोग, उचित लेखे और अन्य सुसंगत अभिलेख रखेगा और लेखाओं का एक वार्षिक विवरण ऐसे प्ररूप में, जो भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के परामर्श से विहित किए जाएं, तैयार करेगा ।

(2) राष्ट्रीय आयोग के लेखाओं की संपरीक्षा, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा, ऐसे अंतरालों पर की जाएगी, जो उसके द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं और उसके द्वारा ऐसी संपरीक्षा के संबंध में उपगत कोई व्यय, राष्ट्रीय आयोग द्वारा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को संदेय होगा ।

(3) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक और राष्ट्रीय आयोग के लेखाओं की संपरीक्षा के संबंध में उसके द्वारा नियुक्त किन्हीं अन्य व्यक्तियों को ऐसी संपरीक्षा के संबंध में वही अधिकार, विशेषाधिकार और प्राधिकार होंगे, जो सरकारी लेखाओं की संपरीक्षा के संबंध में साधारणतया भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के होते हैं और विशिष्ट रूप से, अभिलेखों, लेखा पुस्तकों, लेखाओं, संबद्ध वाऊचरों तथा अन्य

दस्तावेजों और कागज-पत्र पेश किए जाने की मांग करने और उस तक पूर्ण पहुंच बनाने तथा राष्ट्रीय आयोग के कार्यालयों का निरीक्षण करने का अधिकार होगा ।

(4) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक या इस निमित्त उसके द्वारा नियुक्त किए गए किसी अन्य व्यक्ति द्वारा यथा प्रमाणित राष्ट्रीय आयोग के लेखे, उस पर संपरीक्षा रिपोर्ट के साथ, राष्ट्रीय आयोग द्वारा वार्षिक रूप से केंद्रीय सरकार को भेजे जाएंगे और जो, उन्हें प्राप्त करने के पश्चात् यथासंभवशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगी ।

विवरणियों और रिपोर्टों का केंद्रीय सरकार को प्रस्तुत किया जाना ।

40. (1) राष्ट्रीय आयोग, केंद्रीय सरकार को ऐसे समय पर, ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति में, जो विहित की जाए या जैसा केंद्रीय सरकार निदेश दे, ऐसी रिपोर्टें और विवरण प्रस्तुत करेगा, जिनमें राष्ट्रीय आयोग की अधिकारिता के अधीन किसी विषय से संबंधित ऐसी विशिष्टियां अन्तर्विष्ट होंगी, जिनकी केंद्रीय सरकार, समय-समय पर अपेक्षा करे ।

(2) राष्ट्रीय आयोग, प्रत्येक वर्ष में एक बार, ऐसे प्ररूप में और ऐसे समय पर, जो विहित किया जाए, पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान उसके कार्यकलापों का एक संक्षिप्त विवरण देते हुए एक वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा और उस रिपोर्ट की प्रतियां केंद्रीय सरकार को अग्रेषित की जाएगी ।

(3) केन्द्रीय सरकार द्वारा, उपधारा (2) के अधीन प्राप्त रिपोर्ट की एक प्रति, उसकी प्राप्ति के पश्चात् यथासंभवशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जाएगी ।

अध्याय 9

प्रकीर्ण

केंद्रीय सरकार की राष्ट्रीय आयोग, स्वायत्त बोर्डों और परिचर्या और प्रसूति विद्या सलाहकार परिषद् को निदेश देने की शक्ति ।

41. (1) इस अधिनियम के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, राष्ट्रीय आयोग, स्वायत्त बोर्डों और परिचर्या और प्रसूति विद्या सलाहकार परिषद्, इस अधिनियम के अधीन अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए और कृत्यों के निर्वहन में, नीति के प्रश्नों संबंधी ऐसे निदेशों से आबद्धकर होंगे, जो केंद्रीय सरकार द्वारा उन्हें समय-समय पर लिखित में दिए जाएं :

परंतु इस उपधारा के अधीन कोई निदेश दिए जाने से पूर्व, राष्ट्रीय आयोग, स्वायत्त बोर्डों और परिचर्या और प्रसूति विद्या सलाहकार परिषद् को, यथासाध्य, अपने मत अभिव्यक्त करने का अवसर प्रदान किया जाएगा ।

(2) क्या कोई प्रश्न नीति का है या नहीं, इस संबंध में केंद्रीय सरकार का विनिश्चय अंतिम होगा ।

केंद्रीय सरकार की राज्य सरकारों को निदेश देने की शक्ति ।

42. केंद्रीय सरकार, इस अधिनियम के सभी या किन्हीं उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए किसी राज्य सरकार को ऐसे निदेश दे सकेगी, जिन्हें वह आवश्यक समझे और राज्य सरकार ऐसे निदेशों का अनुपालन करेगी ।

केंद्रीय आयोग की राज्य आयोगों को निदेश देने की शक्ति ।

43. केंद्रीय आयोग, इस अधिनियम के सभी या किन्हीं उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए किसी राज्य आयोग को ऐसे निदेश दे सकेगा, जिन्हें वह आवश्यक समझे और राज्य आयोग ऐसे निदेशों का अनुपालन करेगा ।

राष्ट्रीय आयोग द्वारा दी जाने वाली जानकारी और उसका प्रकाशन ।

44. (1) राष्ट्रीय आयोग, केंद्रीय सरकार को ऐसी रिपोर्टें, उसके कार्यवृत्त की प्रतियां, उसके लेखाओं से उद्धरण, और अन्य जानकारी देगा, जिसकी वह सरकार अपेक्षा करे ।

(2) केंद्रीय सरकार, उपधारा (1) के अधीन उसे दी गई रिपोर्टों, कार्यवृत्तों, लेखाओं से उद्धरण और अन्य जानकारी को ऐसी रीति में, जो वह ठीक समझे, प्रकाशित कर सकेगी ।

विश्वविद्यालयों और परिचर्या और प्रसूति विद्या संस्थाओं की बाध्यताएं ।

45. इस अधिनियम के अधीन शासित प्रत्येक विश्वविद्यालय और परिचर्या और प्रसूति विद्या संस्था, सभी समय पर, एक वेबसाइट अनुरक्षित करेगी और ऐसी वेबसाइट में ऐसी संपूर्ण जानकारी प्रदर्शित करेगी, जो, यथास्थिति, राष्ट्रीय आयोग या किसी स्वायत्त बोर्ड द्वारा अपेक्षित हो ।

परिचर्या और प्रसूति विद्या संस्थाओं में अध्ययन पाठ्यक्रमों का पूरा किया जाना ।

46. (1) इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, ऐसा कोई छात्र, जो इस अधिनियम के प्रारंभ से ठीक पूर्व किसी परिचर्या और प्रसूति विद्या संस्था में किसी डिग्री, डिप्लोमा या प्रमाणपत्र के लिए अध्ययन कर रहा था, वैसे ही अध्ययन करता रहेगा और ऐसी डिग्री, डिप्लोमा या प्रमाणपत्र के लिए अपने पाठ्यक्रम को पूरा करेगा और ऐसी संस्था, ऐसे प्रारंभ से पूर्व यथा विद्यमान पाठ्यचर्या और अध्ययन रूपरेखा के अनुसार ऐसे छात्र के लिए अनुदेश उपलब्ध कराती रहेगी तथा परीक्षाओं का आयोजन करती रहेगी और ऐसे छात्र के बारे में यह समझा जाएगा कि उसने इस अधिनियम के अधीन अपने अध्ययन पाठ्यक्रम को पूरा कर लिया है और उसे इस अधिनियम के अधीन डिग्री, डिप्लोमा या प्रमाणपत्र प्रदान किया जाएगा ।

(2) इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, जहां किसी परिचर्या संस्था को प्रदान की गई मान्यता व्यपगत हो गई है, चाहे ऐसा समय के व्यतीत हो जाने के कारण हुआ हो या मान्यता को स्वैच्छिक रूप से वापस किए जाने के कारण या किसी अन्य कारण से हुआ हो, वहां ऐसी परिचर्या संस्था, उस समय तक, जब तक सभी अभ्यर्थी, जिन्हें परिचर्या संस्था में प्रवेश दिया जाता है, उस संस्था में अपने अध्ययन को पूरा करते हैं, इस अधिनियम के अधीन उपबंध किए जाने के लिए अपेक्षित न्यूनतम मानकों को बनाए रखेगी और उनका उपबंध करेगी ।

राष्ट्रीय आयोग के और स्वायत बोर्डों के अध्यक्ष और सदस्यों का लोक सेवक होना ।

47. राष्ट्रीय आयोग और राज्य आयोगों के अध्यक्ष, सदस्य, अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों तथा स्वायत्त बोर्डों के प्रधान, सदस्यों तथा अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों के बारे में, जब वे इस अधिनियम के किसी उपबंध के अनुसरण में कार्य कर रहे हों या उनका कार्य किया जाना तात्पर्यित हो, यह समझा जाएगा कि वे भारतीय दंड संहिता की धारा 21 के अर्थान्तर्गत लोक सेवक हैं । 1860 का 45

सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण ।

48. इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों या विनियमों के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या किए जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए, सरकार, राष्ट्रीय आयोग या किसी स्वायत्त बोर्ड या किसी राज्य आयोग या उसकी किसी समिति, या इस अधिनियम के अधीन कार्य करने वाले सरकार के या राष्ट्रीय आयोग के किसी अधिकारी या अन्य कर्मचारी के विरुद्ध कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं होगी ।

अपराधों का संज्ञान ।

49. कोई न्यायालय, इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध का, यथास्थिति, राष्ट्रीय आयोग या परिचर्या और प्रसूति विद्या नैतिक और रजिस्ट्रीकरण बोर्ड या राज्य आयोग द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा लिखित में की गई शिकायत के सिवाय, संज्ञान नहीं लेगा ।

केंद्रीय सरकार की राष्ट्रीय आयोग को अधिक्रांत करने की शक्ति ।

50. (1) यदि, किसी भी समय, केंद्रीय सरकार की यह राय है कि,—

(क) राष्ट्रीय आयोग इस अधिनियम के उपबंधों द्वारा या उनके अधीन उस पर अधिरोपित कृत्यों और कर्तव्यों का निर्वहन करने में असमर्थ है ; या

(ख) राष्ट्रीय आयोग ने, केंद्रीय सरकार द्वारा इस अधिनियम के अधीन उसे जारी किसी निदेश का अनुपालन करने में या इस अधिनियम के उपबंधों के द्वारा या उनके अधीन उस पर अधिरोपित कृत्यों और कर्तव्यों के निर्वहन में निरंतर व्यतिक्रम किया है,

तो, केंद्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, राष्ट्रीय आयोग को, छह मास से अनधिक की, उतनी अवधि के लिए, जितनी ऐसी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए, अतिष्ठित कर सकेगी :

परंतु इस उपधारा के अधीन कोई अधिसूचना जारी करने से पूर्व, केंद्रीय सरकार, राष्ट्रीय आयोग को इस बात का कारण बताने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करेगी कि उसे अतिष्ठित क्यों नहीं किया जाना चाहिए और राष्ट्रीय आयोग द्वारा दिए गए स्पष्टीकरणों और आक्षेपों, यदि कोई हों, पर विचार करेगी ।

(2) उपधारा (1) के अधीन राष्ट्रीय आयोग को अतिष्ठित करने वाली अधिसूचना के प्रकाशन पर,—

(क) इसके सभी सदस्य, अतिष्ठित किए जाने की तारीख से, उस रूप में अपना पद रिक्त कर देंगे ;

(ख) ऐसी सभी शक्तियों, कृत्यों और कर्तव्यों का, जिन्हें राष्ट्रीय आयोग द्वारा या उसके निमित्त, इस अधिनियम के उपबंधों द्वारा या उसके अधीन प्रयोग किया जाता है या निर्वहन किया जाता है, उपधारा (3) के अधीन आयोग का पुनर्गठन किए जाने तक, ऐसे परिचर्या और प्रसूति विद्या वृत्तिकों द्वारा, जैसा केंद्रीय सरकार निदेश दे, प्रयोग किया जाएगा और निर्वहन किया जाएगा ; और

(ग) राष्ट्रीय आयोग के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन सभी संपतियां, उपधारा (3) के अधीन आयोग का पुनर्गठन किए जाने तक, केंद्रीय सरकार में निहित होंगी ।

(3) केंद्रीय सरकार, उपधारा (1) के अधीन जारी की गई अधिसूचना में विनिर्दिष्ट अतिष्ठित काल के अवसान पर,—

(क) अतिष्ठित काल का, छह मास से अनधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार कर सकेगी, जैसी वह ठीक समझे ; या

(ख) नई नियुक्तियों द्वारा राष्ट्रीय आयोग का पुनर्गठन कर सकेगी और ऐसी दशा में ऐसे सदस्य, जिन्होंने उपधारा (2) के खंड (क) के अधीन अपने पद रिक्त किए थे, नियुक्ति के लिए निरर्हित नहीं समझे जाएंगे :

परंतु केंद्रीय सरकार, अतिष्ठित काल, चाहे वह अवधि उपधारा (1) के अधीन मूल रूप से विनिर्दिष्ट की गई हो या इस उपधारा के अधीन यथाविस्तारित अवधि हो, के अवसान से पूर्व, किसी भी समय, इस उपधारा के खंड (ख) के अधीन कार्रवाई कर सकेगी ।

(4) केंद्रीय सरकार, उपधारा (1) के अधीन एक अधिसूचना जारी करवाएगी और इस धारा के अधीन की गई किसी कार्रवाई और ऐसी कार्रवाई को किए जाने वाली परिस्थितियों से संबंधित पूरी रिपोर्ट को शीघ्रतम अवसर पर संसद् के दोनों सदनों के समक्ष रखवाएगी ।

केंद्रीय सरकार की नियम बनाने की शक्ति ।

51. (1) केंद्रीय सरकार, पूर्व प्रकाशन की शर्त के अधीन रहते हुए, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी ।

(2) विशिष्टतया, और पूर्वगामी शक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम, निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात् :—

(क) धारा 2 के खंड (थ) के अधीन परिचर्या और प्रसूति विद्या प्रमुख के लिए अपेक्षित अर्हताएं और अनुभव ;

(ख) धारा 4 के खंड (छ), खंड (ज), खंड (झ), खंड (ञ), खंड (ट) और खंड (ठ) के अधीन राष्ट्रीय आयोग के सदस्यों को नियुक्त करने की रीति तथा खंड (ज) और खंड (झ) में निर्दिष्ट छह जोन ;

(ग) धारा 5 की उपधारा (1) के खंड (ख) और खंड (ग) के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा विशेषज्ञों को नामनिर्देशित करने की रीति ;

(घ) धारा 6 की उपधारा (5) के अधीन अध्यक्ष और सदस्यों को संदेय वेतन और भत्ते तथा उनकी सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें ;

(ङ) धारा 6 की उपधारा (7) के अधीन घोषणा करने का प्ररूप और रीति ;

(च) धारा 8 की उपधारा (2) के अधीन राष्ट्रीय आयोग के सचिव द्वारा धारण की जाने वाली अर्हताएं और अनुभव ;

(छ) धारा 8 की उपधारा (7) के अधीन राष्ट्रीय आयोग के सचिव, अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को संदेय वेतन और भत्ते तथा उनकी सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें ;

(ज) धारा 10 की उपधारा (2) के खंड (ण) के अधीन राष्ट्रीय आयोग की अन्य शक्तियां और कृत्य ;

(झ) धारा 12 की उपधारा (6) के अधीन सदस्यों को चुनने की रीति ;

(ञ) धारा 13 की उपधारा (2) के अधीन प्रत्येक स्वायत्त बोर्ड में रिक्तियों को भरने की रीति ;

(ट) धारा 13 की उपधारा (3) और उपधारा (4) के अधीन किसी स्वायत्त बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्यों को संदेय वेतन और भत्ते तथा उनकी सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें ;

(ठ) धारा 39 की उपधारा (1) के अधीन वार्षिक लेखा विवरण तैयार करने का प्ररूप ;

(ड) वह समय, जिसके भीतर और वह प्ररूप तथा रीति, जिसमें राष्ट्रीय

आयोग द्वारा रिपोर्टें और विवरण प्रस्तुत किए जाएंगे और किसी ऐसे विषय के संबंध में विशिष्टियां, जिसके संबंध में केंद्रीय सरकार द्वारा धारा 40 की उपधारा (1) के अधीन अपेक्षा की जाए ;

(ञ) धारा 40 की उपधारा (2) के अधीन वार्षिक रिपोर्ट तैयार करने का प्ररूप और समय ;

(ण) प्रतिकर की रकम, जिसके लिए अधिनियम की धारा 56 उप-धारा (5) के परंतुक के अधीन भारतीय नर्सिंग परिषद के कर्मचारी हकदार होंगे; और

(त) ऐसा कोई अन्य विषय, जिसके संबंध में इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियमों द्वारा उपबंध किया जाना है ।

विनियम बनाने की शक्ति ।

52. (1) राष्ट्रीय आयोग, पूर्व प्रकाशन की शर्त के अधीन रहते हुए, इस अधिनियम के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए, इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों से सुसंगत विनियम बना सकेगा ।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे विनियम, निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात्:—

(क) धारा 8 की उपधारा (5) के अधीन राष्ट्रीय आयोग के सचिव द्वारा निर्वहन किए जाने वाले कृत्य ;

(ख) धारा 8 की उपधारा (8) के अधीन, वह प्रक्रिया, जिसके अनुसार विशेषज्ञों, परामर्शी और वृतिकों को नियोजित किया जा सकेगा तथा ऐसे विशेषज्ञों और वृतिकों की संख्या ;

(ग) वह प्रक्रिया जिसके अनुसार और उन विशेषज्ञों और डोमेन विशेषज्ञों संख्या जिन्हे धारा 8 की उपधारा (9) के अधीन आयोग की बैठकों के लिए विदेशों से आमंत्रित किया जाना है;

(घ) धारा 9 की उपधारा (3) के अधीन राष्ट्रीय आयोग की बैठकों में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया, जिसके अंतर्गत उसकी बैठकों में गणपूर्ति भी है ;

(ङ) धारा 10 की उपधारा (1) के अधीन आवधिक पुनर्रीक्षण के साथ, शिक्षा के समन्वित और एकीकृत विकास तथा सेवा परिदान के मानकों को बनाए रखने के लिए किए गए उपाय ;

(च) धारा 10 की उपधारा (2) के अधीन राष्ट्रीय आयोग द्वारा उसके अपने कृत्यों का पालन करने के प्रयोजन ;

(छ) धारा 15 के अधीन स्वायत्त बोर्डों को, धारा 8 के अधीन नियुक्त विशेषज्ञों, परामर्शियों, वृत्तिकों, अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों जिसके अन्तर्गत धारा 8 के अधीन विदेशों से आमंत्रित विशेषज्ञ औ डोमेन विशेषज्ञ को उपलब्ध कराए जाने की रीति तथा उनकी संख्या ;

(ज) धारा 18 की उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन स्नातकपूर्व स्तर पर

परिचर्या और प्रसूति विद्या शिक्षा और परीक्षा की न्यूनतम अपेक्षाओं तथा मानकों को अवधारित करने की रीति ;

(झ) धारा 18 की उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन स्नातकपूर्व स्तर और स्नातकोत्तर स्तर पर गत्यात्मक सक्षमता आधारित पाठ्यचर्या विकसित करने की रीति ;

(ञ) धारा 18 की उपधारा (1) के खंड (ग) के अधीन परिचर्या और प्रसूति विद्या में स्नातकपूर्व स्तर और स्नातकोत्तर पर अर्हताएं और ऐसी अन्य विशिष्टियां विहित करना ;

(ट) धारा 18 की उपधारा (1) के खंड (घ) के अधीन देश की जरूरतों और वैश्विक सन्नियमों को ध्यान में रखते हुए, स्नातकपूर्व और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम चलाने के लिए परिचर्या और प्रसूति विद्या संस्थाओं की स्थापना करने के लिए मानक ;

(ठ) धारा 18 की उपधारा (1) के खंड (ङ) के अधीन स्नातकपूर्व और स्नातकोत्तर परिचर्या और प्रसूति विद्या शिक्षा प्रदान करने वाली परिचर्या और प्रसूति विद्या संस्थाओं में की अवसंरचना, संकाय और शिक्षा तथा अनुसंधान की गुणवता संबंधी मानक और सन्नियम ;

(ड) धारा 18 की उपधारा (1) के खंड (ज) के अधीन रजिस्ट्रीकृत परिचर्या और प्रसूति विद्या वृतिकों के, जिसमें परिचर्या और प्रसूति विद्या स्नातकपूर्व और स्नातकोत्तर शिक्षा बोर्ड द्वारा यथाउपबंधित परिचर्या और प्रसूति विद्या अर्हता प्राप्त करने वाले परिचर्या व्यवसायी, परिचर्या सहयुक्त और प्रसूति विद्या सहयुक्त भी हैं, व्यवसाय के मानकों तथा कार्यक्षेत्र को विनियमित करने की रीति और खंड (झ) के अधीन राष्ट्रीय आयोग के परामर्श से सीमित विहित प्राधिकारी विनियमित करने की रीति ;

(ढ) धारा 19 की उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन परिचर्या और प्रसूति विद्या स्नातकपूर्व और स्नातकोत्तर शिक्षा बोर्ड द्वारा द्वारा अधिकथित मानकों का उनके अनुपालन के लिए परिचर्या और प्रसूति विद्या संस्थाओं का मूल्यांकन और उनकी रेटिंग करने की प्रक्रिया अवधारित करने की रीति ;

(ण) धारा 19 की उपधारा (1) के खंड (ग) के अधीन परिचर्या और प्रसूति विद्या संस्था का मूल्यांकन और उनकी रेटिंग करने के लिए ऐसी संस्थाओं का निरीक्षण करने की रीति ;

(त) धारा 19 की उपधारा (1) के खंड (घ) के अधीन सभी परिचर्या और प्रसूति विद्या संस्थाओं का, उनके खुलने की ऐसी अवधि के भीतर संचालन, उनका मूल्यांकन और उनकी रेटिंग करने के लिए स्वतंत्र रेटिंग अभिकरणों का संचालन करने, या जहां यह आवश्यक समझे, वहां उनको पैनलीकृत करने का समय और रीति ;

(थ) धारा 19 की उपधारा (1) के खंड (ङ) के अधीन परिचर्या और प्रसूति विद्या संस्थाओं के मूल्यांकन और उनकी रेटिंग को नियमित अंतरालों पर

वेबसाइट पर या सार्वजनिक अधिकारक्षेत्र में उपलब्ध कराने की रीति ;

(द) धारा 19 की उपधारा (1) के खंड (च) के अधीन किए जाने वाले उपाय, जिनमें परिचर्या और प्रसूति विद्या स्नातकपूर्व और स्नातकोत्तर शिक्षा बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट न्यूनतम आवश्यक मानकों को बनाए रखने में असफलता के लिए परिचर्या और प्रसूति विद्या संस्था के विरुद्ध चेतावनी जारी करने, धनीय शास्ति अधिरोपित करने, प्रवेश के अंतर्ग्रहण को कम करने या उन्हें बंद करने की रीति भी है ;

(ध) धारा 20 की उपधारा (1) के खंड (ग) के अधीन वृत्तिक आचार को विनियमित करने और परिचर्या तथा प्रसूति विद्या नैतिकता का संवर्धन करने की रीति ;

(न) धारा 21 की उपधारा (1) के अधीन, उक्त धारा की उपधारा (2) के अधीन अनुज्ञा प्राप्त करने के प्रयोजनों के लिए परिचर्या और प्रसूति विद्या मूल्यांकन तथा रेटिंग बोर्ड को प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए प्ररूप, विशिष्टियां और फीस ;

(प) धारा 21 की उपधारा (5) के अधीन राष्ट्रीय आयोग को अपील करने की रीति ;

(फ) धारा 22 के अधीन प्रस्ताव को अनुमोदित करते या अनुमोदित करते समय, यथास्थिति, परिचर्या और प्रसूति विद्या मूल्यांकन और रेटिंग बोर्ड या राष्ट्रीय आयोग और ऐसे क्षेत्रों में स्थापित परिचर्या और प्रसूति विद्या संस्थाओं द्वारा विचार किए जाने वाले अन्य कारक जो उक्त धारा के अधीन मानदंड की छूट के लिए पात्र हैं ;

(ब) धारा 24 की उपधारा (3) के अधीन रजिस्ट्रीकृत वृत्तिक द्वारा किसी वृत्तिक या नैतिक अवचार की बाबत राज्य आयोग द्वारा अनुशासनिक कार्यवाहियां करने की रीति ;

(भ) धारा 24 की उपधारा (3) के पहले परन्तुक के अधीन परिचर्या और प्रसूति विद्या नैतिक और रजिस्ट्रीकरण बोर्ड द्वारा राज्य में रजिस्ट्रीकृत वृत्तिक के विरुद्ध किसी वृत्तिक या नैतिक अवचार से संबंधित शिकायतों और व्यथाओं को प्राप्त करने की रीति ;

(म) ऐसे कार्य करना या उनका लोप करना, जो धारा 24 के स्पष्टीकरण के अधीन वृत्तिक या नैतिक अवचार की कोटि में आते हैं ;

(य) धारा 25 की उपधारा (1) के अधीन परिचर्या और प्रसूति विद्या नैतिक और रजिस्ट्रीकरण बोर्ड द्वारा रखे गए आनलाइन तथा लाइव राष्ट्रीय रजिस्टर में विनिर्दिष्ट की जाने वाली अन्य विशिष्टियां ;

(यक) धारा 25 की उपधारा (2) के अधीन वह प्ररूप और रीति, जिसमें राष्ट्रीय रजिस्टर रखा जाना है ;

(यख) धारा 25 की उपधारा (3) के अधीन वह रीति, जिसमें राष्ट्रीय

रजिस्टर में नाम या अर्हता जोड़ी जा सकेगी या उससे हटायी जा सकेगी और उसमें जोड़े जाने या हटाए जाने के लिए आधार ;

(यग) वह प्ररूप और रीति, जिसमें धारा 25 की उपधारा (5) के अधीन राष्ट्रीय रजिस्टर, परिचर्या और प्रसूति विद्या नैतिक और रजिस्ट्रीकरण बोर्ड की वेबसाइट पर डालकर जनता को उपलब्ध कराया जाएगा ;

(यघ) धारा 26 की उपधारा (1) के अधीन ऐसे किसी व्यक्ति को, जिसने मान्यताप्राप्त परिचर्या और प्रसूति विद्या अर्हता प्राप्त की है, परिचर्या और प्रसूति वृत्तिक के रूप में रजिस्ट्रीकरण प्रदान करने तथा परिचर्या प्रसूति विद्या और वृत्तिकों के राष्ट्रीय रजिस्टर या राज्य रजिस्टर में उसका नाम और अर्हताएं अभ्यावेशित करने की रीति ;

(यङ) धारा 26 की उपधारा (3) के अधीन राष्ट्रीय रजिस्टर या राज्य रजिस्टर में उसके नाम के सामने उपाधि, डिप्लोमा या अर्हता प्रविष्ट करवाने की रीति ;

(यच) धारा 26 की उपधारा (4) के अधीन रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण की रीति ;

(यछ) धारा 27 की उपधारा (1) के परन्तुक के अधीन वह अवधि और रीति, जिसमें विदेशी नागरिक को भारत में अस्थायी रजिस्ट्रीकरण अनुज्ञात किया जा सकेगा ;

(यज) धारा 28 की उपधारा (1) के अधीन भारत में किसी विश्वविद्यालय या परिचर्या और प्रसूति विद्या संस्था द्वारा या परिचर्या और प्रसूति विद्या स्नातकपूर्व और स्नातकोत्तर शिक्षा बोर्ड द्वारा प्रदान की गई परिचर्या और प्रसूति विद्या अर्हता को सूचीबद्ध करना और उसे बनाए रखना ;

(यझ) धारा 28 की उपधारा (2) के अधीन भारत में किसी विश्वविद्यालय या परिचर्या और प्रसूति विद्या संस्था द्वारा या परिचर्या और प्रसूति विद्या स्नातकपूर्व और स्नातकोत्तर शिक्षा बोर्ड द्वारा प्रदान की गई परिचर्या और प्रसूति विद्या अर्हता को सूचीबद्ध करना और उसे बनाए रखना ;

(यञ) धारा 28 की उपधारा (3) के अधीन परिचर्या और प्रसूति विद्या अर्हता की सभी विशिष्टियों में पूर्वस्नातक या स्नातकोत्तर या विशिष्टता या नैदानिक नर्स विशिष्टता के लिए मान्यता प्रदान किए जाने के लिए आवेदन की जांच करने की रीति ;

(यट) धारा 28 की उपधारा (7) के अधीन ऐसी सभी परिचर्या और प्रसूति विद्या अर्हताओं, जिन्हें इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से पूर्व मान्यता प्रदान की गई है और जिन्हें भारतीय नर्स परिषद् अधिनियम, 1947 की अनुसूची के भाग 1 और भाग 2 में सम्मिलित किया गया है, को सूचीबद्ध करने तथा उन्हें बनाए रखने की रीति ; 1947 का 48

(यठ) धारा 29 की उपधारा (2) के अधीन परिचर्या और प्रसूति विद्या अर्हता, जिसे राष्ट्रीय आयोग द्वारा मान्यता प्रदान की गई है, को सूचीबद्ध करने

और उसे बनाए रखने की रीति और ऐसी अर्हता रखने वाले व्यक्ति द्वारा व्यवसाय करने की रीति ;

(यड) धारा 29 की उपधारा (4) के अधीन दो देशों के बीच परिचर्या और प्रसूति विद्या वृत्तिकों के पारस्परिक रजिस्ट्रीकरण के लिए अर्हताओं की परस्पर मान्यता की रीति ;

(यढ) धारा 32 के पहले परन्तुक के अधीन पाठ्यचर्चा, व्यवहारिक प्रशिक्षण और पाठ्यक्रम के वर्षों की संख्या के निबंधनानुसार समतुल्यता की समीक्षा करने की रीति ;

(यण) धारा 32 के दूसरे परंतुक के अधीन वह रीति, जिसमें आवश्यक अर्हता रखने वाले किसी व्यक्ति को व्यवसाय की अनुज्ञा दी जाएगी ;

(यत) धारा 36 की उपधारा (3) के अधीन परिचर्या और प्रसूति विद्या सलाहकार परिषद् की बैठकों में अनुसरित की जाने वाली प्रक्रिया ;

(यथ) ऐसा कोई अन्य विषय, जिसके संबंध में इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए विनियमों द्वारा उपबंध किया जाना है ।

राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति ।

53. (1) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, धारा 23 और धारा 28 की उपधारा (9) के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी ।

(2) विशिष्टितया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में धारा 23 की उपधारा (3) के खंड (घ), खंड (ङ) और खंड (च) के अधीन राज्य परिचर्या और प्रसूति विद्या आयोग में नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले ऐसे सदस्यों के लिए उपबंध हो सकेगा जो अर्हताएं और अनुभव रखते हैं ।

(3) इस धारा के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम इसके बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र राज्य विधान-मंडल के समक्ष रखा जाएगा ।

नियमों और विनियमों का संसद् के समक्ष रखा जाना ।

54. इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम और प्रत्येक विनियम बनाए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा । यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी । यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन, यथास्थिति, उस नियम या विनियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा । यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि, यथास्थिति, वह नियम या विनियम नहीं बनाया जाना चाहिए, तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगा, किन्तु नियम या विनियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति ।

55. (1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो केंद्रीय सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, ऐसे उपबंध कर सकेगी, जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हों, जो उस कठिनाई को दूर करने

के लिए उसे आवश्यक प्रतीत हों :

परंतु इस धारा के अधीन ऐसा कोई आदेश, इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से दो वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा ।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश उसके किए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा ।

निरसन और व्यावृत्ति ।

56. (1) उस तारीख से, जो केंद्रीय सरकार, इस निमित्त नियत करे, भारतीय नर्सिंग परिषद् अधिनियम, 1947 निरसित किया जाता है और उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन गठित भारतीय नर्सिंग परिषद् विघटित हो जाएगी । 1947 का 48

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट अधिनियम के निरसन के होते हुए भी, निम्नलिखित पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा,—

(क) इस प्रकार निरसित अधिनियम के पूर्व प्रवर्तन या उसके अधीन सम्यक् रूप से की गई किसी बात या किसी कार्रवाई पर ; या

(ख) इस प्रकार निरसित अधिनियम के अधीन अर्जित, प्रोद्भूत या उपगत किसी अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यता या दायित्व पर ; या

(ग) इस प्रकार निरसित अधिनियम के अधीन किसी उल्लंघन के संबंध में उपगत किसी शास्ति पर ; या

(घ) यथापूर्वोक्त किसी ऐसे अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यता, दायित्व या शास्ति के संबंध में किसी कार्यवाही या उपचार पर और ऐसी किसी कार्यवाही या उपचार को उसी प्रकार संस्थित किया जा सकेगा, जारी या प्रवृत्त रखा जा सकेगा या ऐसी शास्ति वैसे ही अधिरोपित की जा सकेगी, मानो वह अधिनियम निरसित नहीं किया गया है ।

(3) भारतीय नर्सिंग परिषद् के विघटन पर, भारतीय नर्सिंग परिषद् के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त व्यक्ति और भारतीय नर्सिंग परिषद् के सदस्य के रूप में नियुक्त अन्य प्रत्येक व्यक्ति अपने-अपने पदों को रिक्त कर देंगे और ऐसा अध्यक्ष और अन्य सदस्य, अपनी पदावधि के समयपूर्व समापन के लिए नब्बे दिन से अनधिक की अवधि के लिए प्रतिकर, फीस और भत्तों का दावा करने के लिए हकदार होंगे ।

(4) प्रत्येक अधिकारी, जो भारतीय नर्सिंग परिषद् में प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त किया गया है, इसके विघटन पर, यथास्थिति, अपने मूल काडर, मंत्रालय या विभाग में वापस चला जाएगा ।

(5) अन्य कर्मचारियों की सेवाएं, जिन्हें भारतीय नर्सिंग परिषद् के विघटन से ठीक पूर्व भारतीय नर्सिंग परिषद् द्वारा नियमित आधार पर नियोजित किया गया था, अन्तरिम व्यवस्थापन के रूप में इस अधिनियम के अधिनियम के पश्चात् एक वर्ष से अनधिक अवधि के लिए बनी रहेंगी और तत्पश्चात्, उनकी सेवाओं की आगे निरंतरता या अन्यथा उसके निष्पादन, मूल्यांकन के आधार पर राष्ट्रीय आयोग द्वारा अवधारित किया जाएगा :

परंतु तत्कालीन भारतीय नर्सिंग परिषद के ऐसे कर्मचारी प्रतिकर के हकदार होंगे,

जो तीन महीने के वेतन और भत्तों से कम नहीं होगा, जैसा विहित किया जाए ।

1947 का 48

(6) भारतीय नर्सिंग परिषद् अधिनियम, 1947 के निरसन के होते हुए भी, उक्त अधिनियम के अधीन किया गया कोई आदेश, व्यवसाय करने के लिए जारी की गई कोई अनुज्ञप्ति, किया गया कोई रजिस्ट्रीकरण, किसी नई नर्सिंग महाविद्यालय या संस्था को आरंभ करने या उच्चतर अध्ययन पाठ्यक्रमों को आरंभ करने या अनुदत्त प्रवेश क्षमता में वृद्धि के लिए कोई अनुमति, अनुदत्त नर्सिंग अर्हताओं की कोई मान्यता, जो इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख को प्रवर्तन में हैं, उनके अवसान की तारीख तक, सभी प्रयोजनों के लिए, इस प्रकार से प्रवर्तन में बनी रहेंगी मानों उन्हें इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों या विनियमों के उपबंधों के अधीन जारी या मंजूर किया गया हो ।

संक्रमणकालीन उपबंध ।

57. (1) राष्ट्रीय आयोग, भारतीय नर्सिंग परिषद् के, जिसके अंतर्गत उसके समनुषंगी या उसके स्वामित्वाधीन न्यास भी हैं, हित में उत्तरवर्ती होगा और भारतीय नर्सिंग परिषद् की सभी आस्तियां और दायित्व राष्ट्रीय आयोग को अंतरित हुए समझे जाएंगे ।

1947 का 48

(2) भारतीय नर्सिंग परिषद् अधिनियम, 1947 के निरसन के होते हुए भी, उक्त अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के उपबंधों के अधीन शैक्षिक मानक, अपेक्षाएं और अन्य उपबंध तब तक प्रवर्तन और प्रचालन में बने रहेंगे, जब तक कि इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों या विनियमों के उपबंधों के अधीन नए मानक या अपेक्षाएं विनिर्दिष्ट न कर दी जाएं :

परंतु निरसनाधीन अधिनियमिति और उसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के अधीन शैक्षिक मानकों और अपेक्षाओं के संबंध में की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई समझी जाएगी और वह तदनुसार तब तक प्रवर्तन में बनी रहेंगी, जब तक उसे इस अधिनियम के अधीन की गई किसी बात या की गई किसी कार्रवाई द्वारा अधिक्रांत नहीं कर दिया जाता है ।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

भारतीय नर्स परिषद् अधिनियम, 1947 का अधिनियमन नर्स, मिडवाइफ और स्वास्थ्य परिदर्शकों के लिए प्रशिक्षण का सामान्य स्तर स्थापित करने के लिए किया गया था । यद्यपि उक्त अधिनियम नर्स शिक्षण की वृद्धि के लिए ठोस आधार का उपबंध करने के लिए अधिनियमित किया गया था, किंतु यह समय के साथ अप्रासंगिक हो गया है । 1947 से उक्त अधिनियम में अल्पतम संशोधन हुए हैं जिससे इस वृत्ति की सीमित वृद्धि को ही समर्थ किया जा सका ।

2. नर्स, जो स्वास्थ्य देखभाल प्रदाताओं की एक बड़ी संख्या हैं, स्वास्थ्य प्रणाली का आधार हैं । परिचर्या और प्रसूति विद्या के शिक्षण को अंतर्निहित करने वाला लोचनीय और अच्छे से कार्य करने वाला विधायी ढांचा नर्सों की भूमिका और विस्तार को पुनः परिभाषित करने के लिए तथा देश में मिडवाइफ को स्पष्ट पहचान प्रदान करने के लिए आवश्यक है ।

3. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण पर विभाग संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने अपनी एक सौ नौवीं रिपोर्ट में राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग विधेयक, 2017 पर यह सिफारिश की थी कि विभाग को भारतीय दंत चिकित्सा परिषद्, भारतीय नर्स परिषद् तथा ऐसी अन्य परिषदों की पुनर्संरचना तथा पुनर्गठन की संभावना पर विचार करना चाहिए जिससे उनके शिक्षण और व्यवसाय का प्रभावी विनियमन हो सके ।

4. उक्त सिफारिश के अनुसरण में, राष्ट्रीय परिचर्या और प्रसूति विद्या आयोग विधेयक का प्रारूप तैयार किया गया तथा उसका परीक्षण करने के लिए जुलाई, 2020 में सरकार द्वारा एक सात सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया । विशेषज्ञ समिति ने गहन परीक्षण करने के पश्चात् विद्यमान भारतीय नर्स परिषद् के स्थान पर राष्ट्रीय परिचर्या और प्रसूति विद्या आयोग की स्थापना की सिफारिश करते हुए अगस्त, 2020 में अपनी रिपोर्ट दी । विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के आधार पर, तथा नीति आयोग, जनसाधारण, राज्य सरकारों, राज्य परिषदों, वृत्तिक संगमों तथा अन्य सुसंगत पणधारियों से व्यापक परामर्श और विचार-विमर्श के पश्चात् सरकार प्रस्तावित विधान द्वारा विद्यमान भारतीय नर्स परिषद् के स्थान पर राष्ट्रीय परिचर्या और प्रसूति विद्या आयोग की स्थापना का प्रस्ताव करती है । प्रस्तावित विधान ऋजु, पारदर्शी और गुणवत्तायुक्त प्रक्रिया के माध्यम से महत्ता तथा योग्यता वाले परिचर्या और प्रसूति विद्या वृत्तिकों का सृजन करेगा ।

5. तदनुसार, राष्ट्रीय परिचर्या और प्रसूति विद्या आयोग विधेयक, 2023 को पुरःस्थापित करने का प्रस्ताव है, जो अन्य बातों के साथ, निम्नलिखित के लिए उपबंध करता है—

(क) परिचर्या और प्रसूति विद्या शिक्षण, संस्था और वृत्ति से संबंधित सभी पहलुओं के विकास और विनियमन हेतु राष्ट्रीय परिचर्या और प्रसूति विद्या आयोग का गठन तथा राष्ट्रीय आयोग को सलाह और सिफारिशें करने के लिए परिचर्या और प्रसूति विद्या सलाहकार परिषद् का गठन करना ;

(ख) तीन स्वायत्त बोर्डों का गठन, अर्थात् :—

(i) परिचर्या और प्रसूति विद्या शिक्षण और परीक्षा को स्नातकपूर्व स्तर तथा स्नातकोत्तर स्तर पर विनियमित करने और उनके मानक अवधारित करने के लिए परिचर्या और प्रसूति विद्या स्नातकपूर्व और स्नातकोत्तर शिक्षा बोर्ड;

(ii) परिचर्या और प्रसूति विद्या संस्थाओं का निरीक्षण करने और निर्धारण करने तथा रेटिंग करने के लिए परिचर्या और प्रसूति विद्या चिकित्सा मूल्यांकन और रेटिंग बोर्ड; और

(iii) सभी रजिस्ट्रीकृत वृत्तिकों के बीच वृत्तिक आचरण का विनियमन करने तथा परिचर्या और प्रसूति विद्या आचारों का संवर्धन करने और परिचर्या वृत्तिकों, प्रसूति विद्या वृत्तिकों, परिचर्या सहायकों और प्रसूति विद्या सहायकों के लिए एक राष्ट्रीय रजिस्टर रखने के लिए परिचर्या और प्रसूति विद्या आचरण और रजिस्ट्रीकरण बोर्ड;

(ग) स्नातकपूर्व और स्नातकोत्तर स्तर पर परिचर्या और प्रसूति विद्या संस्थाओं में प्रवेश के लिए एक समान क्रियाविधि;

(घ) यथास्थिति, राष्ट्रीय रजिस्टर या राज्य रजिस्टर में नामांकन के लिए या तो अंतिम वर्ष स्नातकपूर्व परीक्षा या अन्यथा के माध्यम से एक क्रियाविधि;

(ङ) नई परिचर्या और प्रसूति विद्या संस्थाओं की स्थापना, स्नातकोत्तर या उच्चतर अर्हता पाठ्यक्रम प्रारंभ करने के लिए तथा परिचर्या और प्रसूति विद्या संस्थाओं द्वारा प्राप्त किए जाने वाले स्थानों की संख्या बढ़ाने के लिए अनुज्ञा;

(च) भारत में और भारत के बाहर विश्वविद्यालयों तथा परिचर्या और प्रसूति विद्या संस्थाओं द्वारा अनुदत्त की जाने वाली परिचर्या और प्रसूति विद्या अर्हताओं को मान्यता तथा भारत में वैधानिक और अन्य निकायों द्वारा अनुदत्त की जाने वाली परिचर्या और प्रसूति विद्या अर्हताओं को भी मान्यता;

(छ) किसी परिचर्या वृत्तिक, प्रसूति विद्या वृत्तिक, परिचर्या सहायक और प्रसूति विद्या सहायक का नाम, पता, उनके द्वारा धारित की जाने वाली सभी मान्यताप्राप्त अर्हताओं को अंतर्विष्ट करने वाले आनलाइन और लाइव राष्ट्रीय रजिस्टर को रखना;

(ज) राष्ट्रीय आयोग तथा स्वायत्त बोर्डों द्वारा प्राप्त की जाने वाली सभी फीसों, शास्तियों और प्रभारों को जमा करने के लिए राष्ट्रीय परिचर्या और प्रसूति विद्या आयोग निधि का गठन;

(झ) भारतीय नर्स परिषद् अधिनियम, 1947 का निरसन, तथा भारतीय नर्स परिषद् का विघटन और ऐसे विघटन पर निम्नलिखित का उपबंध करना,—

(i) उक्त परिषद् के अध्यक्ष तथा सदस्य के संबंधित पद रिक्त समझे जाएंगे और वे तीन महीने के वेतन और भत्ते से अनधिक प्रतिकर के हकदार होंगे;

(ii) उक्त परिषद् द्वारा नियमित आधार पर नियोजित अन्य कर्मचारी अंतरिम व्यवस्था के रूप में एक वर्ष से अनधिक के लिए अपनी सेवाएं

जारी रखेंगे, और तत्पश्चात् उनके निष्पादन, अंकन या मूल्यांकन के आधार पर राष्ट्रीय आयोग द्वारा उनका आगे जारी रहना अवधारित किया जाएगा ।

6. विधेयक पूर्वोक्त उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए है ।

नई दिल्ली ;
28 मार्च, 2023

डा० मनसुख मांडविया

खंडों पर टिप्पण

विधेयक का खंड 2 प्रस्तावित विधायन में प्रयुक्त विभिन्न पदों को परिभाषित करने के लिए उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 3 राष्ट्रीय परिचर्या और प्रसूति विद्या आयोग का गठन करने के लिए उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 4 राष्ट्रीय परिचर्या और प्रसूति विद्या आयोग के गठन और इसके संघटक सदस्यों की नियुक्ति और अर्हता के लिए उपबंध करता है । आयोग उन्नीस सदस्यों का निकाय होगा, जो एक अध्यक्ष, सोलह पदेन सदस्यों और बारह सदस्यों से मिलकर बनेगा । बारह सदस्यों में से, प्रत्येक छह जोनों से एक-एक सदस्य राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाएंगे । चार सदस्य, जिनमें से कम से कम दो प्रसूति वृत्तिक होंगे, जो खोजबीन-सह-चयन समिति की सिफारिश पर केंद्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाएंगे । एक सदस्य गैर-परिचर्या और प्रसूति पृष्ठभूमि से होगा और एक सदस्य परिचर्या और प्रसूति विद्या के क्षेत्र में खैराती संस्थान का प्रतिनिधित्व करने वाला होगा, दोनों केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किए जाएंगे ।

विधेयक का खंड 5 प्रस्तावित अधिनियम के अधीन, आयोग के अध्यक्ष, सदस्य और सचिव, तथा स्वायत्त बोर्डों के अध्यक्ष और सदस्यों के लिए खोजबीन-सह-चयन समिति के गठन के लिए उपबंध करता है । समिति की अध्यक्षता, केन्द्रीय स्वास्थ्य सचिव करेगा और चार परिचर्या और प्रसूति विद्या क्षेत्र के विशेषज्ञ और एक केंद्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट विविध पृष्ठभूमि से होगा । स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में परिचर्या का भारसाधक अपर सचिव या संयुक्त सचिव संयोजक सदस्य होगा ।

विधेयक का खंड 6 राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की पदावधि, वेतन और भत्ते, तथा सेवा के अन्य निबंधन और शर्तों का उपबंध करता है । ये चार वर्ष से अनधिक की अवधि के लिए पदधारण करेंगे और वे किसी विस्तार या पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे ।

विधेयक का खंड 7 राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष या सदस्यों को हटाए जाने का उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 8 राष्ट्रीय आयोग के सचिव, विशेषज्ञों, वृत्तिकों, अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति का उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 9 राष्ट्रीय आयोग की बैठकों, गणपूर्ति और बैठकों से संबंधित अन्य आनुषंगिक मामलों का उपबंध करता है । राष्ट्रीय आयोग तीन मास में कम से कम एक बार अवश्य बैठक करेगा ।

विधेयक का खंड 10 राष्ट्रीय आयोग की शक्तियों और कृत्यों का उपबंध करता है, जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं, लेकिन ये इन्हीं तक सीमित नहीं हैं :—

(क) परिचर्या और प्रसूति विद्या में शिक्षा तथा प्रशिक्षण में उच्च गुणवत्ता

और मानकों को सुनिश्चित करने के लिए नीतियों को विरचित करना और दिशानिर्देश तैयार करना ;

(ख) राष्ट्रीय आयोग, स्वायत्त बोर्ड और राज्य आयोगों के कार्यों में समन्वय ;

(ग) परिचर्या और प्रसूति विद्या वृति के विनियमन के लिए नीति तैयार करना ;

(घ) प्रत्यायोजन और उप समितियां गठित करने की शक्ति ।

विधेयक का खंड 11 राष्ट्रीय आयोग के समग्र पर्यवेक्षण के अधीन तीन स्वायत्त बोर्डों के गठन का उपबंध करता है । ये तीनों बोर्ड, परिचर्या और प्रसूति विद्या स्नातकपूर्व और स्नातकोत्तर शिक्षा बोर्ड, परिचर्या और प्रसूति विद्या चिकित्सा मूल्यांकन और रेटिंग बोर्ड तथा परिचर्या और प्रसूति विद्या आचार और रजिस्ट्रीकरण बोर्ड हैं ।

विधेयक का खंड 12 अध्यक्ष, अधिकतम दो पूर्णकालिक सदस्यों और अधिकतम दो अंशकालिक सदस्यों से मिलकर बने स्वायत्त बोर्डों के गठन का उपबंध करता है । परिचर्या और प्रसूति विद्या चिकित्सा मूल्यांकन और रेटिंग बोर्ड तथा परिचर्या और प्रसूति विद्या आचार और रजिस्ट्रीकरण बोर्ड का दूसरा पूर्णकालिक सदस्य विविध पृष्ठभूमि से होगा ।

विधेयक का खंड 13 स्वायत्त बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्यों की पदावधि, वेतन और भत्ते, तथा सेवा के अन्य निबंधन और शर्तों का उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 14 राष्ट्रीय आयोग द्वारा गठित विशेषज्ञों की सलाहकारी समितियों, जो परिचर्या और प्रसूति विद्या आचार और रजिस्ट्रीकरण बोर्ड के सिवाय प्रत्येक स्वायत्त बोर्ड की सहायता, जो इस अधिनियम के अधीन दिए गए कार्यों का उन्मोचन करता है, का उपबंध करता है । परिचर्या और प्रसूति विद्या आचार और रजिस्ट्रीकरण बोर्ड की सहायता, राष्ट्रीय आयोग द्वारा गठित आचार विशेषज्ञ समिति द्वारा की जाएगी ।

विधेयक का खंड 15 स्वायत्त बोर्ड के कर्मचारिवृंद के लिए उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 16 स्वायत्त बोर्ड की बैठकों के लिए उपबंध करता है । प्रत्येक बोर्ड मास में कम से कम एक बार अवश्य बैठक करेगा ।

विधेयक का खंड 17 स्वायत्त बोर्ड की शक्तियों और शक्तियों के प्रत्यायोजन के लिए उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 18 परिचर्या और प्रसूति विद्या स्नातकपूर्व और स्नातकोत्तर शिक्षा बोर्ड की शक्तियों और कृत्यों के लिए उपबंध करता है, जिसमें स्नातकपूर्व और स्नातकोत्तर शिक्षा के स्तर पर परिचर्या और प्रसूति विद्या शिक्षा और परीक्षा के मानकों का अवधारण करना, स्नातकपूर्व और स्नातकोत्तर परिचर्या और प्रसूति विद्या पाठ्यचर्या प्रदान करने के लिए परिचर्या और प्रसूति विद्या संस्थानों की स्थापना के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत विरचित करना और स्नातकपूर्व और स्नातकोत्तर स्तर पर परिचर्या और प्रसूति विद्या संस्थानों को मान्यता प्रदान करना सम्मिलित हैं । बोर्ड, सभी

विशिष्टियों में नर्स व्यवसायियों सहित रजिस्ट्रीकृत नर्स और प्रसूति विद्या सहयोगियों और वृत्तिकों के व्यवसाय के मानकों और विस्तार को भी विनियमित करेगा ।

विधेयक का खंड 19 परिचर्या और प्रसूति विद्या निर्धारण और रेटिंग बोर्ड की शक्तियों और कृत्यों का उपबंध करता है, जिसमें निर्धारित मानकों के अनुपालन के लिए परिचर्या और प्रसूति विद्या संस्थानों के निर्धारण और रेटिंग के लिए प्रक्रिया निर्धारित करना, नए परिचर्या या प्रसूति विद्या संस्थानों की स्थापना के लिए अनुमति देना, या कोई पूर्व स्नातक या उच्च अर्हता पाठ्यक्रम प्रारंभ करने या सीटों की संख्या बढ़ाने और इस प्रयोजन के लिए निरीक्षण करने और चेतावनी देने, विहित न्यूनतम आवश्यक मानकों की असफलता के लिए परिचर्या और प्रसूति विद्या संस्थान पर आर्थिक शास्ति अधिरोपित करना सम्मिलित हैं ।

विधेयक का खंड 20 परिचर्या और प्रसूति विद्या सदाचार और रजिस्ट्रीकरण बोर्ड की शक्तियों और कृत्यों का उपबंध करता है, जिसमें सभी रजिस्ट्रीकृत वृत्तिकों के लिए राष्ट्रीय रजिस्टर को बनाए रखना, उनके वृत्तिक आचरणों को विनियमित करने और राज्य परिचर्या और प्रसूति विद्या आयोगों के साथ निरंतर संपर्क के लिए तंत्र विकसित करना सम्मिलित हैं ।

विधेयक का खंड 21 नई परिचर्या और प्रसूति विद्या संस्था की स्थापना के लिए अनुज्ञा, परिचर्या और किसी परिचर्या और प्रसूति विद्या स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रारंभ करने या सीटों की संख्या बढ़ाने का उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 22 नई परिचर्या और प्रसूति विद्या संस्था की स्थापना के लिए प्रस्ताव के अनुमोदन या अननुमोदन के लिए मापदंड, परिचर्या और प्रसूति विद्या स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रारंभ करने या सीटों की संख्या बढ़ाने का उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 23 राज्य परिचर्या और प्रसूति विद्या आयोग के गठन और उसकी संरचना का उपबंध करता है । राज्य परिचर्या और प्रसूति विद्या आयोग दस सदस्यों से मिलकर बनेगा, जिसमें अध्यक्ष, तीन पदेन सदस्य और छह सदस्य सम्मिलित है ।

विधेयक का खंड 24 राज्य आयोग के कृत्यों के लिए उपबंध करता है, जिसमें रजिस्टर के रखरखाव, स्वायत्त बोर्डों द्वारा प्रदान की जाने वाली परिचर्या और प्रसूति विद्या शिक्षा के मानकों को सुनिश्चित करने, वृत्तिक आचरण को लागू करने परिचर्या और प्रसूति सहयोगी की पर्याप्त पालना को सुनिश्चित करने के लिए निपुणता पर आधारित परीक्षा आयोजित करवाना और राष्ट्रीय आयोग द्वारा जारी सभी निदेशों की अनुपालना सुनिश्चित करना सम्मिलित है ।

विधेयक का खंड 25 परिचर्या और प्रसूति विद्या सदाचार और रजिस्ट्रीकरण बोर्ड द्वारा आनलाइन और लाइव, राष्ट्रीय रजिस्टर के रखरखाव, जो नाम, पता और मान्यताप्राप्त सभी परिचर्या वृत्तिकों, प्रसूति विद्या वृत्तिकों, परिचर्या सहायिकों और प्रसूति विद्या सहायिकों द्वारा अर्हता रखने वालों का उपबंध करता है । प्रत्येक राज्य आयोग, राज्य रजिस्टरों को बनाए रखेगा । रजिस्टरों को डिजिटल प्ररूप सहित ऐसे प्ररूपों में रखा जाएगा, जैसा विनिर्दिष्ट किया जाए ।

विधेयक का खंड 26 राष्ट्रीय रजिस्टर या राज्य रजिस्टर में व्यवसाय करने की अनुज्ञप्ति और नामांकन के लिए व्यक्तियों के अधिकार का उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 27 व्यवसाय करने पर रोक का उपबंध करता है । ऐसा व्यक्ति, जो राष्ट्रीय रजिस्टर या राज्य रजिस्टरों में नामांकित नहीं है, उसे परिचर्या और प्रसूति विद्या में व्यवसाय करने की अनुमति नहीं दी जाएगी । कोई भी उल्लंघन करने पर, कारावास से, जो एक वर्ष से अधिक का नहीं होगा या जुर्माने से, जो पांच लाख रुपए तक हो सकेगा, या दोनों से दंडित होगा । विदेशी परिचर्या और प्रसूति विद्या वृतिकों को भारत में, ऐसी रीति में, जैसा कि विनिर्दिष्ट किया जा सके, अस्थायी रजिस्ट्रीकरण की अनुमति दी जाएगी ।

विधेयक का खंड 28 भारत में विश्वविद्यालों या परिचर्या और प्रसूति विद्या संस्था द्वारा अनुदत्त परिचर्या और प्रसूति विद्या अर्हताओं की मान्यता का उपबंध करता है । संस्थान, परिचर्या और प्रसूति विद्या स्नातकपूर्व और स्नातकोत्तर शिक्षा बोर्ड को आवेदन करेगा, जो आवेदन की जांच करेगा और मान्यता प्रदान करने का निर्णय करेगा ।

विधेयक का खंड 29 भारत से बाहर परिचर्या और प्रसूति विद्या संस्थाओं द्वारा अनुदत्त परिचर्या और प्रसूति विद्या अर्हताओं की मान्यता के लिए उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 30 भारत में कानूनी या अन्य निकाय द्वारा अनुदत्त परिचर्या और प्रसूति विद्या अर्हताओं की मान्यता के लिए उपबंध करता है जो परिचर्या और प्रसूति अर्हताओं के रूप में जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, मान्यता दिए जाने के लिए है ।

विधेयक का खंड 31 भारत में परिचर्या और प्रसूति विद्या संस्थाओं द्वारा अनुदत्त परिचर्या और प्रसूति विद्या अर्हता को अनुदत्त मान्यता वापस लेने के लिए उपबंध करता है । राष्ट्रीय आयोग परिचर्या और प्रसूति विद्या निर्धारण और रेटिंग बोर्ड से या राज्य आयोग से या राज्य सरकार से या अन्यथा से रिपोर्ट की प्राप्ति पर ऐसी और जांच करेगा और मामले का विनिश्चय करेगा ।

विधेयक का खंड 32 भारत के बाहर परिचर्या और प्रसूति विद्या संस्था द्वारा प्रदान की गई परिचर्या और प्रसूति अर्हताओं की मान्यता के लिए कतिपय दशाओं में विशेष उपबंधों के लिए उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 33 भारत से बाहर परिचर्या और प्रसूति विद्या संस्थाओं द्वारा प्रदान की गई परिचर्या और प्रसूति विद्या अर्हताओं की मान्यता वापस लेने के लिए उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 34 परिचर्या और प्रसूति विद्या सलाहकार परिषद् के गठन और संरचना के लिए उपबंध करता है । सलाहकार परिषद् में सलाहकार परिषद् के पदेन अध्यक्ष के रूप में राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष के साथ इक्यावन सदस्य निकाय में होंगे । तीन स्वायत्त बोर्डों के अध्यक्ष और राष्ट्रीय आयोग का सचिव सलाहकार परिषद् के पदेन सदस्य होंगे । अध्यक्ष, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, निदेशक, राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद्, आयुष मंत्रालय से एक प्रतिनिधि, भारतीय चिकित्सा

अनुसंधान परिषद् से एक प्रतिनिधि और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, भारतीय प्रबंध संस्थान और भारतीय विज्ञान संस्थान के निदेशकों में से तीन सदस्य भी इसके पदेन सदस्य होंगे । यह प्रत्येक राज्य और संघ राज्यक्षेत्र के एक नामनिर्देशिती से मिलकर बनेगी जो राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में परिचर्या और प्रसूति विद्या संस्था का संकायाध्यक्ष या प्रधानाचार्य होगा या राज्य परिचर्या और प्रसूति विद्या आयोग का प्रतिनिधि होगा और राष्ट्रीय स्तर के किन्हीं तीन वृत्तिक परिचर्या और प्रसूति विद्या संगमों के प्रधान होंगे जो अध्यक्ष द्वारा सदस्यों के रूप में नामनिर्दिष्ट किया जाए ।

विधेयक का खंड 35 परिचर्या और प्रसूति विद्या शिक्षा, सेवा, प्रशिक्षण और अनुसंधान में न्यूनतम मानकों पर आयोग को सलाह देने के लिए परिचर्या और प्रसूति विद्या सलाहकार परिषद् के कृत्य के लिए उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 36 परिचर्या और प्रसूति विद्या सलाहकार परिषद् की बैठकों और गणपूर्ति के लिए उपबंध करता है । सलाहकार परिषद् वर्ष में कम से कम एक बार बैठक करेगी । गणपूर्ति, अध्यक्ष सहित सलाहकार परिषद् के दो-तिहाई सदस्यों से होगी ।

विधेयक का खंड 37 केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुदान के लिए उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 38 राष्ट्रीय परिचर्या और प्रसूति विद्या आयोग निधि जो भारत के लोक लेखा का भाग होगी के लिए उपबंध करता है । आयोग द्वारा प्राप्त सभी फीस, शास्तियां और प्रभार इसके भाग होंगे । इस निधि को राष्ट्रीय आयोग के कृत्यों के निवर्हन में सभी व्ययों के मद्दे संदाय करने के लिए उपयोजित किया जाएगा ।

विधेयक का खंड 39 संपरीक्षा और लेखा के लिए उपबंध करता है । राष्ट्रीय आयोग के लेखाओं की संपरीक्षा भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक द्वारा की जाएगी ।

विधेयक का खंड 40 राष्ट्रीय आयोग द्वारा केन्द्रीय सरकार को विवरणियों और रिपोर्टों के प्रस्तुत किए जाने के लिए उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 41 केन्द्रीय सरकार की राष्ट्रीय आयोग, स्वायत्त बोर्डों और परिचर्या और प्रसूति विद्या सलाहकार परिषद् को नीति के प्रश्नों संबंधी निदेश देने की शक्ति के लिए उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 42 केन्द्रीय सरकार की अधिनियम के किन्हीं उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए राज्य सरकारों को निदेश देने की शक्ति के लिए उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 43 राष्ट्रीय आयोग की राज्य आयोगों को निदेश देने की शक्ति के लिए उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 44 राष्ट्रीय आयोग द्वारा दी जाने वाली जानकारी और उसके प्रकाशन के लिए उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 45 विश्वविद्यालयों और परिचर्या और प्रसूति विद्या संस्थाओं की बाध्यताओं के लिए उपबंध करता है । वे सभी समय पर, एक वेबसाइट अनुरक्षित करेगी और ऐसी संपूर्ण जानकारी प्रदर्शित करेगी, जो राष्ट्रीय आयोग या किसी स्वायत्त बोर्ड द्वारा अपेक्षित हो ।

विधेयक का खंड 46 परिचर्या और प्रसूति विद्या संस्थाओं में अध्ययन पाठ्यक्रमों के पूरा किए जाने के लिए उपबंध करता है । छात्र, जो इस अधिनियम के प्रारंभ से पूर्व किसी परिचर्या और प्रसूति विद्या संस्था में अध्ययन कर रहा था वैसे ही अध्ययन करता रहेगा और ऐसे प्रारंभ से पूर्व यथा विद्यमान पाठ्यचर्या और अध्ययन रूपरेखा के अनुसार अपने पाठ्यक्रम को पूरा करेगा । ऐसे छात्र के बारे में यह समझा जाएगा कि उसने इस अधिनियम के अधीन अपने अध्ययन पाठ्यक्रम को पूरा कर लिया है ।

विधेयक का खंड 47 राष्ट्रीय आयोग के और स्वायत्त बोर्डों के अध्यक्ष, सदस्य अधिकारियों का भारतीय दंड संहिता की धारा 21 के अर्थान्तर्गत लोकसेवक होगा का उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 48 सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 49 राष्ट्रीय आयोग या नैतिक और रजिस्ट्रीकरण बोर्ड या राज्य परिचर्या और प्रसूति आयोग के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा केवल लिखित में शिकायत पर न्यायालय द्वारा अपराधों के संज्ञान के लिए उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 50 केन्द्रीय सरकार की राष्ट्रीय आयोग को अधिक्रांत करने की शक्ति के लिए उपबंध करता है यदि यह उस पर अधिरोपित कृत्यों और कर्तव्यों का निर्वहन करने में असमर्थ है या केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किसी निदेश के अनुपालन करने में निरंतर व्यतिक्रम किया है । केन्द्रीय सरकार छह मास से अनधिक की अवधि के लिए अधिक्रमण की अधिसूचना जारी कर सकेगी ।

विधेयक का खंड 51 केन्द्रीय सरकार की नियम बनाने की शक्ति के लिए उपबंध करता है । केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी ।

विधेयक का खंड 52 राष्ट्रीय आयोग की विनियम बनाने की शक्ति के लिए उपबंध करता है । राष्ट्रीय आयोग अधिसूचना द्वारा पूर्व प्रकाशन करने के पश्चात्, इस अधिनियम से सुसंगत विनियम बना सकेगा ।

विधेयक का खंड 53 राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति के लिए उपबंध करता है । राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा इसमें विनिर्दिष्ट इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी ।

विधेयक का खंड 54 नियमों, विनियमों और अधिसूचनाओं का संसद के समक्ष रखे जाने के लिए उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 55 कठिनाईयों को दूर करने की शक्ति के लिए उपबंध करता है । केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेशद्वारा कठिनाईयों को दूर करने के लिए ऐसे उपबंध कर सकेगी जो इस अधिनियम के प्रयोजनों से असंगत न हो ।

विधेयक का खंड 56 निरसन और व्यावृत्ति के लिए उपबंध करता है । भारतीय नर्सिंग परिषद् अधिनियम, 1947 निरसित हो जाएगा और भारतीय नर्सिंग परिषद् ऐसे तारीख से जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित की जाए विघटित हो जाएगी । भारतीय नर्सिंग परिषद् का अध्यक्ष और सदस्य के रूप में नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति, ऐसे विघटन पर अपने-अपने पदों को रिक्त कर देंगे और प्रतिकर के लिए हकदार होंगे । नियमित

आधार पर नियोजित कर्मचारियों की सेवाएं अंतरिम व्यवस्थापन के रूप में एक वर्ष से अनधिक अवधि के लिए बनी रहेगी और उनकी सेवाओं की आगे निरंतरता निष्पादन अंकन या मूल्यांकन के आधार पर राष्ट्रीय आयोग द्वारा अवधारित की जाएगी ।

विधेयक का खंड 57 संक्रमणकालीन उपबंध के लिए उपबंध करता है । भारतीय नर्सिंग परिषद् अधिनियम, 1947 के निरसन के पश्चात् भी तद्धीन बनाए गए नियम और विनियम तब तक प्रवर्तन में बने रहेंगे जब तक नए नियम और विनियम राष्ट्रीय परिचर्या और प्रसूति आयोग द्वारा विरचित नहीं किए जाते हैं ।

वित्तीय ज्ञापन

विधेयक के खंड 3 का उपखंड (1) राष्ट्रीय परिचर्या और प्रसूति विद्या आयोग को उसे समनुदेशित शक्तियों का प्रयोग करने तथा कृत्यों का निर्वहन करने के लिए उसके गठन का उपबंध करता है । खंड 4 राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति का उपबंध करता है । खंड 6 का उपखंड (5) पदेन सदस्यों से भिन्न, अध्यक्ष और सदस्यों को वेतन या यात्रा और अन्य भत्तों के संदाय का उपबंध करता है । खंड 8 का उपखंड (1) राष्ट्रीय आयोग के सचिव की नियुक्ति का उपबंध करता है तथा उसका उपखंड (6) राष्ट्रीय आयोग के अधिकारियों तथा अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति का उपबंध करता है । उक्त खंड का उपखंड (7) राष्ट्रीय आयोग के सचिव, अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को वेतन और भत्तों के संदाय का उपबंध करता है ।

2. खंड 11 का उपखंड (1) तीन स्वायत्त बोर्डों के गठन का उपबंध करता है । खंड 12 स्वायत्त बोर्डों के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति का उपबंध करता है और खंड 13 का उपखंड (3) स्वायत्त बोर्डों के अध्यक्ष तथा पूर्णकालिक सदस्यों के वेतन और भत्तों का उपबंध करता है ।

3. खंड 37 संसद् द्वारा विधि द्वारा इस निमित्त सम्यक् विनियोग के पश्चात्, राष्ट्रीय आयोग को अनुदानों के संदाय का उपबंध करता है, जो केन्द्रीय सरकार ठीक समझे ।

4. खंड 38 का उपखंड (1) राष्ट्रीय परिचर्या और प्रसूति विद्या आयोग निधि के नाम से ज्ञात निधि के गठन का उपबंध करता है जो भारत के लोक लेखा का भाग होगी तथा राष्ट्रीय आयोग और स्वायत्त बोर्डों द्वारा प्राप्त की जाने वाली सभी फीसें, शास्तियां और प्रभार तथा ऐसे अन्य स्रोतों से, जो राष्ट्रीय आयोग द्वारा विनिश्चित किए जाएं, इसके द्वारा प्राप्त सभी राशियां निधि में जमा की जाएंगी और वेतनों और भत्तों के संदाय के लिए तथा विधेयक के उपबंधों को कार्यान्वित करने में उपगत व्ययों के लिए प्रयुक्त की जाएंगीं ।

5. खंड 56 का उपखंड (3) उपबंध करता है कि भारतीय नर्स परिषद् के विघटन पर, उस परिषद् के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त व्यक्ति तथा सदस्य के रूप में नियुक्त प्रत्येक अन्य व्यक्ति, संबंधित पदों को रिक्त कर देंगें और ऐसा अध्यक्ष तथा सदस्य ऐसे समयपूर्व पर्यवसान के लिए नब्बे दिनों से अनधिक की फीसों और भत्तों के प्रतिकर का दावा करने के हकदार होंगे । उक्त खंड का उपखंड (5) उपबंध करता है कि वे कर्मचारी जो भारतीय नर्स परिषद् द्वारा नियमित आधार पर नियोजित हैं, इस अधिनियम के अधिनियमन के पश्चात् एक वर्ष से अनधिक के लिए अंतरिम व्यवस्था के रूप में कार्यरत रहेंगे और उसके पश्चात् उनकी सेवाओं का आगे जारी रहना उनके निष्पादन अंकन या मूल्यांकन के आधार पर राष्ट्रीय आयोग द्वारा अवधारित किया जाएगा । उक्त उपखंड (5) का परन्तुक उपबंध करता है कि तत्कालीन भारतीय नर्स परिषद् के ऐसे कर्मचारी प्रतिकर के हकदार होंगे जो तीन महीने के वेतन और भत्तों से अन्यून होगा ।

6. अधिकांश व्यय विद्यमान भारतीय नर्स परिषद् की समग्र निधि से तथा भारतीय परिचर्या और प्रसूति विद्या आयोग द्वारा सृजित निधियों से किया जाएगा । राष्ट्रीय आयोग तथा इसका गठन करने वाले निकायों को सरकार द्वारा बजटीय समर्थन, भारतीय नर्स परिषद् को दिए गए चालू बजटीय समर्थन के स्तर से अधिक नहीं होना प्राक्कलित है । और, व्यय राष्ट्रीय आयोग की बैठकों की संख्या पर निर्भर करेगा, आवर्ती या अनावर्ती व्यय इस प्रक्रम पर पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता ।

प्रत्यायोजित विधान के बारे में ज्ञापन

विधेयक का खंड 11 का उपखंड (1) इस अधिनियम के अधीन उसको अभिहित किए गए कृत्यों का निर्वहन करने के लिए राष्ट्रीय आयोग के पूर्ण पर्यवेक्षण के अधीन स्वायत्त बोर्ड का गठन करने के लिए अधिसूचना द्वारा केंद्रीय सरकार को सशक्त करती है ।

2. विधेयक का खंड 51, (क) परिचर्या और प्रसूती विद्या के लिए अपेक्षित अर्हता और अनुभव ; (ख) ऐसे छह जोन, जहां राष्ट्रीय आयोग के लिए सदस्यों की नियुक्ति की जाती हो और राष्ट्रीय आयोग के सदस्यों के नियुक्त करने की रीति ; (ग) खोज-सह-चयन समिति के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा विशेषज्ञों को नामनिर्देशित करने की रीति ; (घ) राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को संदेय वेतन और भत्ते और सेवा की अन्य निबंधन और शर्तें ; (ङ) राष्ट्रीय आयोग द्वारा अध्यक्ष और सदस्य द्वारा आस्तियों और दायित्वों की घोषणा करने की प्ररूप और रीति ; (च) राष्ट्रीय आयोग के सचिव द्वारा धारित किए जाने वाली अर्हताएं और अनुभव ; (छ) राष्ट्रीय आयोग के सचिव, अधिकारी और अन्य कर्मचारिवृंद को संदेय वेतन और भत्ते तथा सेवा की अन्य निबंधन और शर्तें ; (ज) राष्ट्रीय आयोग के अन्य कृत्य ; (झ) स्वायत्त बोर्ड के अंशकालिक सदस्यों को चुनने की रीति ; (ञ) प्रत्येक स्वायत्त बोर्ड के रिक्तियों को भरे जाने की रीति ; (ट) स्वायत्त बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्यों को संदेय वेतन और भत्ते तथा सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें ; (ठ) लेखा का वार्षिक कथन तैयार करने का प्ररूप ; (ड) वह समय, जिसके भीतर और वह प्ररूप तथा रीति, जिसमें राष्ट्रीय आयोग द्वारा रिपोर्ट और कथन तैयार किया जाता है और वे विशिष्टियां, जिनके संबंध में केंद्रीय सरकार द्वारा कोई मामला अपेक्षित होता है ; (ढ) वार्षिक रिपोर्ट को तैयार करने का प्ररूप और समय ; (ण) ऐसे प्रतिकर की रकम जिसके लिए तत्कालीन भारतीय परिचर्या परिषद् के कर्मचारिवृंद हकदार होंगे ; और (त) कोई अन्य मामला, जिसके संबंध में, नियम द्वारा उपबंध किया जाता है, से संबंधी मामलों पर अन्य बातों के साथ नियम बनाने के लिए केंद्रीय सरकार को सशक्त करता है ।

3. विधेयक का खंड 52, (क) राष्ट्रीय आयोग के सचिव द्वारा निर्वहन किए जाने वाले कृत्यों ; (ख) वह प्रक्रिया जिसके अनुसरण में विशेषज्ञ, परामर्शी और वृत्तिकों को तथा ऐसे विशेषज्ञ, परामर्शी और वृत्तिकों की संख्या को राष्ट्रीय आयोग द्वारा नियोजित किया जा सकता है ; (ग) वह प्रक्रिया, जिसके अनुसरण में विदेश से विशेषज्ञों और डोमेन विशेषज्ञों को ऐसे विशेषज्ञों और डोमेन विशेषज्ञों की संख्या को राष्ट्रीय आयोग की बैठकों के लिए आमंत्रित किया जा सकता है ; (घ) राष्ट्रीय आयोग द्वारा बैठक में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया जिसके अंतर्गत उसकी बैठकों का कोरम भी है ; (ङ) आवधिक पुनरीक्षण के साथ, शिक्षा के समंवित और एकीकृत विकास तथा सेवा के परिदान के मानकों को बनाए रखने के लिए उपाय ; (च) राष्ट्रीय आयोग द्वारा उसके कृत्यों के निर्वहन का पालन करने के लिए प्रयोजन ; (छ) राष्ट्रीय आयोग द्वारा

नियुक्त किए गए विशेषज्ञों, परामर्शियों, वृत्तिकों, अधिकारियों और अन्य कर्मचारिवृंद को स्वायत्त बोर्ड के लिए राष्ट्रीय आयोग द्वारा आमंत्रित किए गए विदेश से विशेषज्ञों और डोमेन विशेषज्ञों को उपलब्ध की गई रीति ; (ज) स्नातक पूर्व स्तर और स्नातकोत्तर स्तर पर परिचर्या और प्रसूती विद्या और परीक्षा की न्यूनतम अपेक्षा के मानक को अवधारण करने की रीति ; (झ) स्नातक पूर्व स्तर और स्नातकोत्तर स्तर पर गत्यात्मक सक्षमता आधारित पाठ्यचर्या को विकसित करने की रीति ; (ञ) परिचर्या और प्रसूती विद्या और ऐसी अन्य विशिष्टियों में स्नातक पूर्व स्तर और स्नातकोत्तर स्तर पर विहित की गई अर्हताएं ; (ट) देश की आवश्यकताओं और वैश्विक संनियमों का ध्यान रखते हुए स्नातक पूर्व स्तर और स्नातकोत्तर स्तर पाठ्यक्रम में चलाने के लिए परिचर्या और प्रसूती विद्या संस्थाओं की स्थापना करने के लिए मानक ; (ठ) परिचर्या और प्रसूती विद्या में स्नातक पूर्व स्तर और स्नातकोत्तर प्रदान करने के लिए परिचर्या और प्रसूती विद्या संस्थानों में अवसंरचना, प्रसुविधा तथा विद्या की गुणवत्ता के लिए मानक और संनियमों के अवधारण की रीति ; (ड) रजिस्ट्रीकृत परिचर्या और प्रसूती विद्या वृत्तिकों, जिसके अंतर्गत परिचर्या व्यवसायी, परिचर्या सहयुक्त और प्रसूती विद्या सहयुक्त भी हैं, जिन्होंने परिचर्या और प्रसूती विद्या अर्हता प्राप्त कर लिया है जैसा कि परिचर्या और प्रसूती विद्या स्नातक पूर्व स्तर और स्नातकोत्तर विद्या बोर्ड द्वारा प्रदान किया गया है, के व्यवसाय के मानक और क्षेत्र क्षेत्र को विनियमित करने की रीति ; (ढ) परिचर्या और प्रसूति विद्या स्नातकपूर्व और स्नातकोत्तर शिक्षा बोर्ड द्वारा अधिकथित मानकों का उनके अनुपालन के लिए परिचर्या और प्रसूति विद्या संस्थाओं का मूल्यांकन और उनकी रेटिंग करने की प्रक्रिया अवधारित करने की रीति ; (ण) परिचर्या और प्रसूति विद्या संस्था का मूल्यांकन और उनकी रेटिंग करने के लिए ऐसी संस्थाओं का निरीक्षण करने की रीति ; (त) सभी परिचर्या और प्रसूति विद्या संस्थाओं का, उनके खुलने की ऐसी अवधि के भीतर संचालन, उनका मूल्यांकन और उनकी रेटिंग करने के लिए स्वतंत्र रेटिंग अभिकरणों का संचालन करने, या जहां यह आवश्यक समझे, वहां उनको पैनलीकृत करने का समय और रीति ; (थ) परिचर्या और प्रसूति विद्या संस्थाओं के मूल्यांकन और उनकी रेटिंग को नियमित अंतरालों पर वेबसाइट पर या सार्वजनिक अधिकारक्षेत्र में उपलब्ध कराने की रीति ; (द) किए जाने वाले उपाय, जिनमें परिचर्या और प्रसूति विद्या स्नातकपूर्व और स्नातकोत्तर शिक्षा बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट न्यूनतम आवश्यक मानकों को बनाए रखने में असफलता के लिए परिचर्या और प्रसूति विद्या संस्था के विरुद्ध चेतावनी जारी करने, धनीय शास्ति अधिरोपित करने, प्रवेश के अंतर्ग्रहण को कम करने या उन्हें बंद करने की रीति भी है ; (ध) वृत्तिक आचार को विनियमित करने और परिचर्या तथा प्रसूति विद्या नैतिकता का संवर्धन करने की रीति ; (न) अनुज्ञा प्राप्त करने के प्रयोजनों के लिए परिचर्या और प्रसूति विद्या मूल्यांकन तथा रेटिंग बोर्ड को प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए प्ररूप, विशिष्टियां और फीस ; (प) राष्ट्रीय आयोग को अपील करने की रीति ; (फ) अनुमोदित करते या अनुमोदित करते समय, यथास्थिति, परिचर्या और प्रसूति विद्या मूल्यांकन और रेटिंग बोर्ड या राष्ट्रीय आयोग और ऐसे क्षेत्रों में स्थापित परिचर्या और प्रसूति विद्या संस्थाओं द्वारा विचार किए जाने वाले अन्य कारक जो उक्त धारा के अधीन

मानदंड की छूट के लिए पात्र हैं ; (ब) रजिस्ट्रीकृत वृत्तिक द्वारा किसी वृत्तिक या नैतिक अवचार की बाबत राज्य आयोग द्वारा अनुशासनिक कार्यवाहियां करने की रीति ; (भ) परिचर्या और प्रसूति विद्या नैतिक और रजिस्ट्रीकरण बोर्ड द्वारा राज्य में रजिस्ट्रीकृत वृत्तिक के विरुद्ध किसी वृत्तिक या नैतिक अवचार से संबंधित शिकायतों और व्यथाओं को प्राप्त करने की रीति ; (म) ऐसे कार्य करना या उनका लोप करना, जो वृत्तिक या नैतिक अवचार की कोटि में आते हैं ; (य) परिचर्या और प्रसूति विद्या नैतिक और रजिस्ट्रीकरण बोर्ड द्वारा रखे गए आनलाइन तथा लाइव राष्ट्रीय रजिस्टर में विनिर्दिष्ट की जाने वाली अन्य विशिष्टियां ; (यक) वह प्ररूप और रीति, जिसमें राष्ट्रीय रजिस्टर रखा जाना है ; (यख) वह रीति, जिसमें राष्ट्रीय रजिस्टर में नाम या अर्हता जोड़ी जा सकेगी या उससे हटायी जा सकेगी और उसमें जोड़े जाने या हटाए जाने के लिए आधार ; (यग) वह प्ररूप और रीति, जिसमें राष्ट्रीय रजिस्टर, परिचर्या और प्रसूति विद्या नैतिक और रजिस्ट्रीकरण बोर्ड की वेबसाइट पर डालकर जनता को उपलब्ध कराया जाएगा ; (यघ) ऐसे किसी व्यक्ति को, जिसने मान्यताप्राप्त परिचर्या और प्रसूति विद्या अर्हता प्राप्त की है, परिचर्या और प्रसूति वृत्तिक के रूप में रजिस्ट्रीकरण प्रदान करने तथा परिचर्या प्रसूति विद्या और वृत्तिकों के राष्ट्रीय रजिस्टर या राज्य रजिस्टर में उसका नाम और अर्हताएं अभ्यावेशित करने की रीति ; (यङ) राष्ट्रीय रजिस्टर या राज्य रजिस्टर में उसके नाम के सामने उपाधि, डिप्लोमा या अर्हता प्रविष्ट करवाने की रीति ; (यच) रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण की रीति ; (यछ) वह अवधि और रीति, जिसमें विदेशी नागरिक को भारत में अस्थायी रजिस्ट्रीकरण अनुज्ञात किया जा सकेगा ; (यज) भारत में किसी विश्वविद्यालय या परिचर्या और प्रसूति विद्या संस्था द्वारा या परिचर्या और प्रसूति विद्या स्नातकपूर्व और स्नातकोत्तर शिक्षा बोर्ड द्वारा प्रदान की गई परिचर्या और प्रसूति विद्या अर्हता को सूचीबद्ध करना और उसे बनाए रखना ; (यझ) भारत में किसी विश्वविद्यालय या परिचर्या और प्रसूति विद्या संस्था द्वारा या परिचर्या और प्रसूति विद्या स्नातकपूर्व और स्नातकोत्तर शिक्षा बोर्ड द्वारा प्रदान की गई परिचर्या और प्रसूति विद्या अर्हता को सूचीबद्ध करना और उसे बनाए रखना ; (यञ) परिचर्या और प्रसूति विद्या अर्हता की सभी विशिष्टियों में पूर्वस्नातक या स्नातकोत्तर या विशिष्टता या नैदानिक नर्स विशिष्टता के लिए मान्यता प्रदान किए जाने के लिए आवेदन की जांच करने की रीति ; (यट) ऐसी सभी परिचर्या और प्रसूति विद्या अर्हताओं, जिन्हें इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से पूर्व मान्यता प्रदान की गई है और जिन्हें भारतीय नर्स परिषद् अधिनियम, 1947 की अनुसूची के भाग 1 और भाग 2 में सम्मिलित किया गया है, को सूचीबद्ध करने तथा उन्हें बनाए रखने की रीति ; (यठ) परिचर्या और प्रसूति विद्या अर्हता, जिसे राष्ट्रीय आयोग द्वारा मान्यता प्रदान की गई है, को सूचीबद्ध करने और उसे बनाए रखने की रीति और ऐसी अर्हता रखने वाले व्यक्ति द्वारा व्यवसाय करने की रीति ; (यड) दो देशों के बीच परिचर्या और प्रसूति विद्या वृत्तिकों के पारस्परिक रजिस्ट्रीकरण के लिए अर्हताओं की परस्पर मान्यता की रीति ; (यढ) पाठ्यचर्चा, व्यवहारिक प्रशिक्षण और पाठ्यक्रम के वर्षों की संख्या के निबंधनानुसार समतुल्यता की समीक्षा करने की रीति ; (यण) वह रीति, जिसमें आवश्यक अर्हता रखने वाले किसी व्यक्ति को व्यवसाय की अनुज्ञा दी जाएगी ; (यत) परिचर्या और प्रसूति विद्या सलाहकार परिषद् की बैठकों में अनुसरित की जाने वाली प्रक्रिया ; (यथ) ऐसा कोई अन्य विषय, जिसके संबंध में इस

अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए विनियमों द्वारा उपबंध किया जाना है, से संबंधित मामलों के संबंध में अन्य बातों के साथ राजपत्र में अधिसूचना द्वारा पूर्व प्रकाशन के पश्चात् विनियम बनाने के लिए राष्ट्रीय आयोग को सशक्त करता है ।

4. विधेयक का खंड 53 (क) राज्य परिचर्या और प्रसूती विद्या आयोग में नामनिर्देशित किए जाने वाले सदस्यों द्वारा धारित अर्हता और अनुभव ; और (ख) ग्रामीण क्षेत्रों में परिचर्या और प्रसूती विद्या व्यौहार का संबोधन करने या लोक स्वास्थ्य का संवर्धन करने के प्रयोजन के लिए परिचर्या और प्रसूती विद्या वृत्तिकों की क्षमता में अभिवृद्धि करने के लिए राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय से संबंधित मामलों पर अन्य बातों के साथ नियम बनाने के लिए राज्य सरकार को सशक्त करती है ।

5. ऐसे विषय, जिसके संबंध में नियम बनाया जा सकता है, प्रक्रिया और प्रशासनिक ब्यौरें के विषय हैं तथा यह व्यवहार्य नहीं है जिनको स्वयं विधेयक में उपबंधित किया जा सके । अतः, विधायी शक्तियों का प्रत्यायोजन सामान्य प्रकृति का है ।